¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉÊªÉEòÉ

¨É< 2014

|É¤ÉvÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
®úPÉ´ÉÉÒ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É

ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉ®ú¶É Êi´ÉÉ®úÒ

ºÉ¨{ÉÉnEò
®úÉVÉÒ´É Êi´ÉÉ®úÒ

={É ºÉ¨{ÉÉnEò
®úVÉxÉÉ ÊSÉiÉ±É

´É¤ÉºÉÉ<]
+Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉ

Eò¨{ÉÉÆVÉMÉ
+±{ÉxÉÉ ®úÉ`Éè®ú

+ÉEò±{ÉxÉ
+É±ÉÉÉEòxÉ MÉ{iÉÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉÉEòªÉ ®úÉªÉ

BEò |ÉÊiÉ : ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉ
´ÉÉÌ¹ÉEò : nÉ ºÉÉ ¯û{ÉªÉ

ºÉ¨{ÉEò
¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉÊªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò IÉjÉ, +®ú®úÉ Ê½±É
¦ÉÉ{ÉÉ±É-462011
¡òÉxÉ : 2764742, 2551330
¡òCºÉ : 0755-4228409

Eò{ÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¶ÉÖ±Eò ¤ÉéEò Eò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ bÉ}]/
¨ÉxÉÒ+Ébè®ú ¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉ{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉ*

¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉÊªÉEòÉ ¨É ´ªÉHò Ê´ÉSÉÉ®ú ±ÉJÉEòÉ Eò +{ÉxÉ ½é,
<ºÉEò Ê±ÉB ºÉ¨{ÉÉnEò EòÉä ºÉ½¨ÉÊiÉ +Ênù´ÉÉªÉ xÉ½Ó ½è*

<ºÉ +EÆò ¨É

पंचायत दर्पण राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देती हुई अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा।

पंचायत दर्पण राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव।

आवरण कथा : पंचायत दर्पण से होगा बेहतर वित्तीय प्रबंधन 3

साक्षात्कार : हमारा सपना गाँव में ही मिले सबको लाभ 6

नवाचार : पंचायत दर्पण : एक क्लिक पर पंचायतों का सारा हिसाब-किताब 8

प्रगति : पंचायत दर्पण : एक बहुउपयोगी वेब पोर्टल 10

पुस्तक चर्चा : 'पंचायत दर्पण' पोर्टल की कुंजी है मार्गदर्शिका 16

पंचायत राज : पंचायत राज संस्थाएं और संवैधानिक प्रावधान 17

योजना : वनवासी संवर्धन उपयोजना 25

वन संरक्षण : वन और हम 27

वन जीव : वन्यजीव और पर्यावरण 30

समृद्धि : वैभव का परिदृश्य 32

दृष्टिकोण : वनों के प्रति समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता 34

पंचायत : वन संरक्षण : ग्राम पंचायत की सक्रियता वन संरक्षण के लिए जरूरी 40

प्रयास : कृषि और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास 44

वनोपज : वन औषधि हमारी अमूल्य धरोहर 47

Ê|ÉªÉ {ÉÉ`ÉEòÉ,

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रि-स्तरीय पंतायतों में वित्तीय प्रबंधन के लिए 'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल बनाया गया है। इस वेब पोर्टल द्वारा पंचायतों में वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने, पंचायतों की लेखा प्रणाली को दुरुस्त करने और सतत अंकेक्षण का कार्य किया जायेगा। इस वेब पोर्टल का लोकार्पण विगत दिनों भोपाल में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने किया। इस अवसर पर श्री डिसा ने कहा कि पंचायत दर्पण पंचायतराज व्यवस्था की सार्थकता को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में यह वेब पोर्टल महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस खबर को हमने 'आवरण कथा' स्तंभ में प्रकाशित किया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश, श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा है कि पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर से पंचायत राज व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त और पारदर्शी होगी। 'साक्षात्कार' स्तंभ में हमने श्रीमती अरुणा शर्मा से हुई बातचीत के अंश प्रकाशित किये हैं। पंचायत दर्पण मध्यप्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों से संबंधित जानकारियों का एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल है। इस पोर्टल में पंचायतराज संस्थाओं को दिये जाने वाले सभी कोषों की जानकारी संग्रहित रहती है। पंचायत दर्पण वेब पोर्टल की समस्त कार्यप्रणाली की जानकारी 'प्रगति' स्तंभ में प्रकाशित की गई है। योजना स्तंभ में इस बार प्रदेश के सुदूर वन अंचलों में निवास कर रहे ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए वनवासी संवर्धन उपयोजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। वन प्रकृति और पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। वन परिस्थितीय संतुलन को बनाये रखने का कार्य करते हैं। वृक्ष वायुमण्डल से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड को सोखकर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने, वायुमण्डल के शुद्धिकरण, पानी के संरक्षण और वर्षा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वन की महत्ता को हमने 'वन संरक्षण' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक धरोहरों और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रदेश में वन सम्पदा का एक वृहद भण्डार है। प्रदेश की समृद्ध वनों की जानकारी को समृद्धि स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश का काफी क्षेत्र वनों से घिरा है। वनों से हमें वनस्पति, ईंधन आदि मिलता है लेकिन दिनोंदिन बढ़ रहे शहरीकरण से वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। ऐसे में जरूरत है वन संरक्षण के प्रयासों को और तेज करने की इसी जानकारी को हमने दृष्टिकोण स्तंभ में प्रकाशित किया है। कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि तो होती है पर इसके प्रयोग से जमीन की उवर्रता और मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है। 'प्रयास' स्तंभ में हमने कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए संभावित प्रयासों की जानकारी प्रकाशित की है। भारत भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों के विपुल भंडारों से भरा पड़ा है। भारत में लगभग दस हजार से अधिक वन औषधियां मौजूद हैं। वनों से प्राप्त वनस्पतियां, औषधियां कई लोगों के रोजगार का साधन भी हैं। 'वनोपज' स्तंभ में वनस्पतियां और वन औषधियों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

(®ÉPÉ´ÉÒ® ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É)

पंचायत दर्पण से होगा बेहतर वित्तीय प्रबंधन

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने किया राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

विकास की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के वित्तीय प्रबंधन को लेकर 'पंचायत दर्पण' सॉफ्टवेयर निर्माण की अभिनव पहल की गयी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने, लेखा-जोखा प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने तथा सतत अंकेक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटर पर अब एक क्लिक से पंचायतों का सारा हिसाब-किताब देखा जा सकेगा। इससे सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन के साथ पारदर्शिता कायम होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत राज की सार्थकता सिद्ध होगी।

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों में सतत अंकेक्षण के लिए तैयार किए गए इस वेब पोर्टल का एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में 30 अप्रैल 2014 को भोपाल में शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में भारत सरकार सहित छह प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने और लेखा-जोखा प्रणाली दुरुस्त करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव श्री डिसा ने इस अवसर पर कहा कि नवाचारों के लिए पहचान बनाने वाले मध्यप्रदेश की यह नई पहल है। पंचायत दर्पण व्यवस्था प्रजातंत्र में पंचायत राज की सार्थकता को बढ़ाने में सहयोगी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में यह वेब पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुख्य सचिव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस शुरुआत के लिए बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया वेब पोर्टल पंचायतों की अचल संपत्ति के विवरण, शासन से प्राप्त अनुदान, राजस्व प्राप्तियों, पंचायतों के अपने वित्तीय स्रोतों, भौगोलिक जानकारी और विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा देने का कार्य करेगा।

मुख्य सचिव ने कार्यशाला में अन्य प्रांतों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए आयोजन की सफलता की कामना की। अपर मुख्य सचिव पंचायत, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि पंचायतों के लिए सतत अंकेक्षण की व्यवस्थित शुरुआत की गई है। पंचायत दर्पण प्रारंभ करने के पूर्व वित्त वर्ष 2012-13 में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं का पोस्ट ऑडिट किया गया। यह पहला मौका था जब विकेन्द्रीकृत स्तर पर योजनाओं के समवर्ती अंकेक्षण और लेखा परीक्षा से बड़ी तादाद में निष्क्रिय खातों की जानकारी सामने आई। महालेखाकार कार्यालय और भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान के परामर्श से प्रस्ताव तैयार कर समवर्ती अंकेक्षण और लेखा परीक्षा कार्य के लिए प्रदेश के दस संभागों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गईं। www.mppanchayatdarpan.org वेब पोर्टल पर पंचायत दर्पण नामक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया। इस अनूठे सॉफ्टवेयर की सहायता से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को त्रिस्तरीय पंचायतों की लेखा प्रणाली को व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी योजनाओं की प्रगति जानने में आसानी होगी। वेब पोर्टल के माध्यम से पंचायतों के आय व्यय और अन्य विवरण निर्धारित लेखाशीर्ष के मुताबिक उपलब्ध रहेंगे। यह प्रणाली 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, करों के अधिरोपण और वसूली, मनरेगा, विभिन्न आवास योजनाओं, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य योजना और पेंशन वितरण व्यवस्था के लिये पंचायतों को आवंटित बजट के विवरण को संधारित करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित संरपच तथा पंचायत सचिव द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की करीब 150 योजनाओं और उप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन तथा सुचारू क्रियान्वयन के लिये उन्हें दोहरी वित्त प्रणाली (Double Entry Accounting System) के जरिये महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध सभी रिपोर्ट्स का संधारण करना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों में बड़ी तादाद की संचालित हो

> **पंचायत विभाग मध्यप्रदेश ने त्रिस्तरीय पंचायतों की लेखा-जोखा प्रणाली को आसान बनाने के मकसद से www.mppanchayatdarpan.org वेब पोर्टल पर पंचायत दर्पण नामक एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। पंचायत विभाग मध्यप्रदेश द्वारा तैयार किये गये इस एकमात्र अनूठे सॉफ्टवेयर की मदद से चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों को त्रिस्तरीय पंचायतों की लेखा प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी तरीकों से सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत संचालित विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति को जानने में आसानी हुई है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से सीएजी के द्वारा ऑडिट के संदर्भ में निर्धारित किये गये 08 डाटा प्रपत्र की जानकारी तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आय-व्यय का अन्य विवरण निर्धारित लेखा शीर्ष अनुसार उपलब्ध रहेगा। यह प्रणाली 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, करों के अधिरोपण और वसूली, मनरेगा, विभिन्न आवास योजनाओं, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य योजना और पेंशन वितरण व्यवस्था के लिये पंचायतों को आवंटित बजट के विवरण को संधारित करने में सक्षम है।**

रही इन योजनाओं से संबंधित हिसाब-किताब को तैयार करने और विभिन्न रिपोर्ट्स और लेखाओं के संधारण और अंकेक्षण व्यवस्था में उन्हें दिक्कतें आ रही थीं।

इस अनूठे सॉफ्टवेयर की यह खूबी है कि पंचायत द्वारा केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर को दर्ज करने पर खातों और वित्तीय रख-रखाव के लिये महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट और योजनावार सभी वैधानिक ब्यौरे इस सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही तैयार हो जाते हैं। पंचायत दर्पण में पंचायत स्तर के लेखाओं और लेन-देन की सभी जानकारियाँ रहती हैं। तथा ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा संपन्न कार्यों को वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सभी 23006 ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी जानकारी सामग्री तथा आय-व्यय का विवरण भी एक क्लिक पर प्राप्त किया जा सकेगा।

इस सॉफ्टवेयर की मदद से त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी तथा पंचायतों की अचल संपत्ति का विवरण, भौगोलिक जानकारी, विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का विवरण और फोटोग्राफ्स अब नागरिकों द्वारा भी कम्प्यूटर पर आसानी से देखे जा सकेंगे।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रिंसिपल एकाउन्टेंट जनरल (सीएजी) म.प्र. ग्वालियर श्री के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के इस उपयोगी पोर्टल को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्यशाला को आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव, श्री बी.पी. यादव प्रिंसिपल डायरेक्टर (सीएजी) नई दिल्ली, श्री आशुतोष जोशी संचालक, 14वां वित्त आयोग, नई दिल्ली और क्रिस्प के श्री संदीप जैन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त आयुक्त हरिओम गुप्ता ने किया। कार्यशाला में अन्य राज्यों से आए प्रतिनिधियों में सर्वश्री समीर कुमार खरे, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, (असम) सरोज मिश्रा उप सचिव पंचायत, (उड़ीसा) दीपक आनंद, डायरेक्टर, पंचायत पीयूष कंकरिया एवं श्री सतीश (बिहार), यशवंत गुप्ता (हरियाणा) जी. कनंगा, एस. इसवरन और के. जयावालन (तमिलनाडु) शामिल थे।

● देवेन्द्र जोशी

हमारा सपना गाँव में ही मिले सबको लाभ

विगत 30 अप्रैल 2014 को मध्यप्रदेश में विकास की ओर बढ़ते कदमों में एक और नवाचार शामिल हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'पंचायत दर्पण' सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। इस सॉफ्टवेयर में जहां सतत अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण, पंचायतों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और लेखा-जोखा सुव्यवस्थित करने की सुविधा है वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर, पंचायत प्रतिनिधियों तथा आमजन को विभागीय गतिविधियों को जानना आसान होगा। यह सॉफ्टवेयर ई-गवर्नेन्स से त्वरित कार्यवाही करने और सुशासन के लिए एक उपकरण की तरह साबित होगा जो प्रभावी लोकतंत्र के कारगर होने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर को लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश, श्रीमती अरुणा शर्मा से रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश -

● पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है ?

देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसके बनाने के पीछे कारण यह था कि ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय जानकारी या फाइनेन्शियल अकाउंटिंग सिस्टम की आवश्यकतानुरूप जानकारी नहीं रहती थी। पहले के फार्मेट काफी जटिल थे। अपेक्षा थी कि पंचायत स्तर पर इसे भरा जाये जिसे पूर्ण करना ग्राम पंचायत स्तर पर संभव नहीं हो पाता था। वित्तीय प्रबंधन और सुचारू क्रियान्वयन के लिए दोहरी वित्त प्रणाली (Double Entry Accounting System) के जरिए महालेखा परीक्षक के द्वारा सूचीबद्ध सभी रिपोर्ट्स को संधारण करना पड़ता था। जो काफी जटिल प्रक्रिया है ग्राम पंचायतें वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों का संधारण ठीक से नहीं कर पाती हैं। इससे रिपोर्ट्स और लेखाओं के संधारण और अंकेक्षण व्यवस्था में अड़चनें आ रही थीं। रिकार्ड नहीं रखे जाते थे, क्योंकि संभावना ही नहीं थी। ब्लाक, जिला, संभाग व राज्य स्तर पर सीनियर या जूनियर अकाउंटेन्ट आदि होते हैं लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः दोषारोपण करने के स्थान पर हमने हल ढूंढ़ने का प्रयास किया और पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर की संकल्पना की गयी।

● इस पोर्टल की रचना किस तरह की गयी ?

इस पोर्टल की डिजाइन करते समय हमारे पास ग्रामीण विकास और सोशल जस्टिस के पांच लोग ज्वाइंट कमीश्नर संबद्ध थे। उन्होंने बैठकर वित्त की जरूरतों को निकाला। इस संदर्भ में महालेखा कार्यालय और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के परामर्श से प्रस्ताव तैयार किया गया। पंचायत दर्पण प्रारंभ करने से पूर्व वित्त वर्ष 2012-13 में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं का पोस्ट ऑडिट किया गया। वर्ष 2011-12 से अब तक की सारी जानकारी शामिल की गयी है। इस ऑडिट प्रक्रिया में 10वें वित्त आयोग में खाते में जो पैसा आया, 11वें वित्त आयोग में जो पैसा आया वो सब ट्रेस आउट हो गया, इससे पहले खातों में पड़ा था वह ट्रेक में गया है। भविष्य में नान ट्रेक मनी होने की अब कोई संभावना नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग के क्रिस्प ने इसे डिजाइन किया और इस तरह पंचायत दर्पण बन गया।

● इसको पूर्णतः लागू होने में कितना

समय लगेगा?

जिस तरह 13-14 में नरेगा ड्रिल में आया उसी तरह पंचायत दर्पण को ड्रिल में आने में 2-3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद यह सिस्टम में आ जायेगा।

● पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर को लेकर आपका क्या कहना है?

पंचायत दर्पण एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें केवल दो प्रविष्टियां रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर की एंट्री करने पर खातों और वित्तीय रख-रखाव के लिए योजनावार सभी ब्यौरे सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार हो जाते हैं। हार्डकापी की जरूरत नहीं है। इससे हर पंचायत का हर महीने ऑडिट कर सकते हैं। कान्केयर ऑडिट समय पर होगा, समय पर जाँच भी हो जायेगी। पंचायत स्तर के लेखाओं और लेन-देन की जानकारियां, ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों को वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में देखा जा सकता है। इसी के साथ ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति, जानकारी और आय व्यय का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को भी त्रिस्तरीय पंचायतों की लेखा प्रणाली व्यवस्थित करना आसान होगा। इस वेब पोर्टल से एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर अपलोड किया जा सकता है, दूसरा इसे जनप्रतिनिधि, मीडियाकर्मी, स्वयंसेवी संगठन, आमजन कोई भी देख सकता है। इसके द्वारा पंचायत में शासकीय योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, क्या काम हुआ, क्या शेष है, सब कुछ पोर्टल पर सबके सामने है। इसके द्वारा कोई भी तत्काल जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सुधार के लिए सलाह दे सकते हैं।

● चूंकि पंचायत स्तर पर क्षमता की कमी है। ऐसे में क्या डाटा भरने का काम सही और व्यवस्थित हो पाएगा?

बिल्कुल ठीक कहा। पंचायत स्तर पर यह कमी है इसलिए हर तीन पंचायतों में एक अकाउंटेंट की व्यवस्था है। इस बार यह कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है। जब पंचायत स्तर पर लोग सीख जाएंगे तो काम अपने सिस्टम में आ जायेगा। यह सारा कार्य परिणाम के आधार पर करवाया जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ग्राम रोजगार सहायक और सचिव के माध्यम से तभी भुगतान किया जायेगा जब जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी।

● इसमें ट्रेनिंग को लेकर क्या व्यवस्था है?

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत करने के दौरान ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को हार्डवेयर और ई-पंचायत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर आपरेशन की जानकारी है। इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए मात्र आधे घंटे की ट्रेनिंग की जरूरत है। यह प्रक्रिया चालू है अब तक लगभग 78 हजार से अधिक कार्यों की प्रविष्टि की जा चुकी है। जिन्होंने डाटा अपलोड किया वे प्रशिक्षित हो चुके हैं। आने वाले समय में उन्हें वाउचर आदि स्केन करके अपलोड करना है। यह काम आने वाले दो तीन महीनों में हो जायेगा।

● वेब पोर्टल की कनेक्टिविटी की क्या व्यवस्था है?

हमारे पास फिलहाल दो सोर्स हैं पहला भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड जिससे 1500 पंचायतें कनेक्ट हैं। दूसरा रेल्वे की मदद ली जाएगी। केरल के बाद बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां रेल लाइन के पाँच से दस किलोमीटर दायरे में आने वाले पाँच हजार गाँवों को रेल टेल योजना से जोड़ा जायेगा। तीसरा मध्यप्रदेश में नेशनल आप्टीकल फाइबर नेटवर्क का काम शुरू हो गया है, उन्हें हम पाँच हजार पंचायतों की सूची दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम दो पंचायतों के बीच एक कनेक्टिविटी देकर आने वाले दिसम्बर तक प्रदेश की 23006 पंचायतों को कनेक्शन दे दें। अभी हमने यह व्यवस्था की है कि जिन पंचायतों में कनेक्टीविटी नहीं है वे ऑफ लाइन डाटा अपडेट कर लें और जहां कनेक्टिविटी है वहां से अपलोड कर लें ताकि काम न रुके। कनेक्टिविटी को लेकर हमारा अल्टीमेट ड्रीम है कि किसी भी ग्रामीण को शासन से कोई भी लाभ प्राप्त करना है तो उसे गांव से बाहर न जाना पड़े।

● इस पोर्टल के आने से क्या परिवर्तन होंगे?

काम जल्दी होंगे, समय की बचत, ऊर्जा की बचत, पारदर्शिता के साथ काम होगा। एक तरफ शासकीय व्यवस्था को कार्य करने में आसानी होगी वहीं अवलोकन के साथ प्रभावी नियंत्रण होगा। कार्य के दौरान ही समवर्ती अंकेक्षण होने से गलतियों पर तत्काल सुधारात्मक कार्य किया जायेगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पब्लिक डोमेन पर रहने से आमजन इसे देख सकता है। निश्चित ही इससे पंचायत राज संस्थायें सशक्त होंगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

● इस पोर्टल का क्या प्रभाव पड़ सकता है?

इसके द्वारा पंचायतों की संपत्ति का विवरण, शासन से प्राप्त अनुदान, राजस्व प्राप्तियाँ, पंचायतों के वित्तीय स्रोत, भौगोलिक जानकारी और विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्य अर्थात् कितना पैसा आया, कितना काम हुआ, यह सम्पूर्ण जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर होगी। इससे क्षरित गति से कार्य होगा और पंचायतों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ेगी। इससे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की सुनिश्चितता होगी।

पंचायत दर्पण

एक क्लिक पर पंचायतों का सारा हिसाब-किताब

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत, पंचायतों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं ग्रामीणजनों की कल्याण उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन सशक्त रूप से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित सरपंच (जिनकी शिक्षा अति न्यून है) एवं पंचायत सचिव जिसका दायरा सीमित है, के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की लगभग 150 योजनाओं एवं उप-योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार उन्हें प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिए दोहरी वित्तीय लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) एवं महालेखा

परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध सभी रिपोर्ट संधारित करनी होती है। ग्राम पंचायतें उक्त ऑडिट रिपोर्टों को वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ठीक तरह से संधारित नहीं कर पाती हैं। पंचायत राज संचालनालय एवं प्रदेश सरकार ने इस कमी को दूर करने हेतु पंचायतों में समवर्ती लेखा प्रणाली की शुरुआत कर नवाचार प्रारंभ किया है। इस संदर्भ में महालेखा कार्यालय और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के परामर्श से प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रदेश के 10 संभागों को इकाई मानकर वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गईं एवं सबसे उपयुक्त ऑडिट संस्था को चुनकर समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के स्तर पर व्यवस्थित लेखा संधारण को समझने हेतु पोस्ट ऑडिट किया गया। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त पंचायत और सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। विकेन्द्रीकृत स्तर पर योजनाओं का लेखा परीक्षित करने की पहल प्रथम बार की गई। यह भी पाया गया कि पंचायत स्तर पर कई निष्क्रिय खाते भी अभिलेख में थे।

पंचायत राज संचालनालय एवं प्रदेश सरकार ने एक सॉफ्टवेयर (पंचायत दर्पण) विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर की अनूठी खूबी यह है कि पंचायत द्वारा केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट एवं सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा

स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 से लिया गया है। 'पंचायत दर्पण' पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है एवं वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर किए गए कार्य को पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है।

आप सराहना करेंगे कि हमारे राज्य की त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सभी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत पदाधिकारियों, पंचायत के अचल संपत्ति का विवरण, भौगोलिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, विभिन्न योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य के विवरण फोटो के साथ, जैसी बुनियादी जानकारी देखी जा सकती है। विभिन्न योजना के तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के विवरण के साथ, आय, सामग्री के व्यय विवरण के साथ प्राप्त की जा सकती है।

वेब पोर्टल के माध्यम से सी. एण्ड ए.जी. के द्वारा निर्धारित किये गये आठ डाटा प्रपत्र की जानकारी ऑडिट के संदर्भ में प्राप्त किये जाने के प्रावधान के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के आय-व्यय का अन्य विवरण भी निर्धारित एकाउंटिंग हेड अनुसार प्राप्त किये जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

यह प्रणाली 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, अधिरोपण और करों की वसूली, मनरेगा, आवास योजनाओं, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति विभाग योजनाओं, स्वास्थ्य योजनाओं, पेंशन आदि में पंचायतों को दिए गए बजट के विवरण को संधारित करने में सक्षम है। पंचायत दर्पण ऐसा एकमात्र सॉफ्टवेयर है जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को सफलतापूर्वक और लेखा को अच्छी तरह से एवं एक पारदर्शी तरीके से व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतों द्वारा की जा रही विभिन्न विभागीय गतिविधियों को जानने में सक्षम बनाता है।

● **हरीओम गुप्ता**

पंचायत दर्पण : परिचय

- **वेब पोर्टल www.mppanchayatraj.gov.in**

  www.mppanchayatdarpan.gov.in 'पंचायत दर्पण' पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है एवं वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर विभिन्न योजना अंतर्गत किये गये कार्य के ब्यौरे को पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है।
- **वेब पोर्टल में प्रविष्टि के लिये समस्त जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड वितरित किये जा चुके हैं।**

पंचायत दर्पण पर प्रविष्टियां

- **पंचायत पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी स्केन फोटो के साथ।**
- **पंचायत की भौगोलिक जानकारी - क्षेत्रफल, जनसंख्या, पंचायत भवन की स्थिति उसके स्केन फोटो इत्यादि।**
- **कार्य मास्टर - विभिन्न योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य के तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के विवरण स्केन फोटो, स्केन माप पुस्तिका, स्केन बिल/वाऊचर के साथ।**
- **सरल प्रविष्टि - विभिन्न योजना एवं पंचायत निधि के अंतर्गत आय एवं व्यय विवरण (सामग्री क्रय, दुकान का किराया इत्यादि)।**
- **इस सॉफ्टवेयर में प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों का डाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 से लिया गया है।**
- **पंचायत स्तर पर केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट एवं सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है।**
- **योजनायें - 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, स्वकराधान, परफारमेंस ग्रांट, पंचायत निधि, सांसद/विधायक निधि और पंच परमेश्वर, मनरेगा कन्वर्जेंस इत्यादि।**
- **पंचायत दर्पण वेब पोर्टल पर अब तक त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लगभग 78000 कार्यों की प्रविष्टि की जा चुकी है।**

पंचायत दर्पण : एक बहुउपयोगी वेब पोर्टल

पंचायत राज संस्थाओं का एक डाटा बेस बनाने और पंचायतों के लेखों के रखरखाव की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य शासन ने पिछले दिनों एक वेबसाइट (वेब पोर्टल) 'पंचायत दर्पण' का शुभारंभ किया। पंचायतों में डाटाबेस तैयार करने तथा लेखों के रख रखाव की जरूरत पर तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में पहली बार प्रभावी ढंग से कहा गया था। ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिये थे उन्हीं सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव पंचायतों का डाटाबेस बनाने और लेखों के रख रखाव से सम्बद्ध था। वित्त आयोग के इन्हीं सुझावों और आयोग के आब्जर्वेशन के बाद भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर 'प्रिया साफ्ट' के नाम से बनाया। यह सॉफ्टवेयर पंचायतों को अपने एकाउण्ट के रखरखाव में सहायता के लिए बनाया गया था। प्लानिंग एवं मॉनीटरिंग की विभिन्न गतिविधियों में भी यह सॉफ्टवेयर सहायक रहा है। यह सॉफ्टवेयर चूँकि डबल इन्ट्री सिस्टम पर आधारित था इसलिए अपनी जटिलता के कारण अभी तक इसका क्रियान्वयन ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाया है। 'प्रिया साफ्ट' सॉफ्टवेयर वर्ष 2009 में लागू किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग ने यह तथ्य रेखांकित किया कि इन्टरनेट असेस की कमी और ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक रूप से अभिलेखों के संधारण की जटिलता के कारण ही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों के स्तर पर दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता है। इसी आधार पर पंचायतों और अन्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के लिए अकाउन्टिंग, रिपोर्टिंग और मानीटरिंग के लिए एक अपेक्षाकृत सरल और समेकित सॉफ्टवेयर बनाये जाने की जरूरत को रेखांकित किया।

विभिन्न स्तर पर विभिन्न संगठनों के लिए मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग जरूरतों के लिए मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक फिजिकल और फायनेन्सियल मॉनीटरिंग सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) बनाने की जिसमें सरलीकृत एकाउन्टिंग की विधि भी अन्तर्निहित हो प्रदेश की ही एक संस्था 'क्रिस्प' को दी। क्रिस्प ने ऐसे प्रोफेशनल की टीम के साथ जिसका पंचायत राज संस्थाओं के साथ काफी एक्सपोजर तथा अनुभव रहा है और जो इस व्यवस्था की जरूरतों को समझते हैं।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है?

यह एक त्रिस्तरीय फायनेन्सियल मॉनीटरिंग सिस्टम है जो प्रदेश में चार हजार से ज्यादा उपयोगकर्ताओं, जिनमें जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतें शामिल हैं, द्वारा अपनाया गया है। इस सिस्टम में पंचायतों द्वारा जरूरी और बुनियादी आंकड़े प्रविष्ट किये जाते हैं। इस व्यवस्था में निम्न बिन्दुओं की मॉनीटरिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है :-

- आवण्टित कोष (एलोकेटेड फण्ड)
- कुल व्यय।
- पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति।
- विभिन्न प्रारूपों में कस्टामाईज्ड प्रारूप बनाना।
- योजना की मॉनीटरिंग और वित्तीय प्रगति की महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा प्रस्तावित आठ प्रतिवेदन तैयार करने में।
- पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर या कार्यालय प्रमुख द्वारा सबसे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सभी आने वाली घटनाओं और अद्यतन जानकारी देना।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम का व्यापक उद्देश्य आदर्श वित्तीय ई-गवर्नेन्स की स्थिति को सम्पूर्ण तथा अद्यतन अभिलेखों की मॉनीटरिंग द्वारा प्राप्त करना है। ग्राम पंचायत स्तर एवं उससे ऊपर के स्तर पर प्रत्येक लेन देन का मॉनीटरिंग होगा और मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो पी.एफ.एम.एस. का उद्देश्य :-

- आसानी से डाटा प्रविष्टी करना अर्थात् न्यूनतम प्रयास से न्यूनतम समय में वांछित डाटा प्रविष्ट करना है।
- प्रयत्नों का दोहराव ना हो अर्थात् वो डाटा जो दूसरे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो उसे काफी हद तक इस सॉफ्टवेयर में ही शामिल कर लिया जाये।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय मॉनीटरिंग की रिपोर्ट का यह एकमात्र स्रोत हो।
- पी.एफ.एम.एस. का उद्देश्य विभिन्न स्तर पर आवण्टित कोष पर आधारित वित्तीय स्थिति को दर्शाना भी है।
- सी एण्ड ए जी द्वारा प्रस्तावित अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को तैयार करना और उसको मेनटेन करना।
- 'प्रिया सॉफ्ट' सॉफ्टवेयर का सिंक्रोनाईजेशन करना।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम में जानकारी प्राप्त करने का तरीका बेहद आसान बना दिया गया है। उपयोगकर्ता एक वाउचर की प्रवृष्टि करता है और वो इच्छित वित्तीय एवं एम.आई.एस. प्रतिवेदन प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में बजट अलाटमेन्ट, निर्माण कार्य आरंभ करने की स्थिति, 'वर्क मास्टर' के द्वारा निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति, फायनेन्सियल ट्रांजेक्शन बल्क डाटा व इम्पोर्ट वर्क बल्क डाटा इम्पोर्ट, रोजगार की ताजा स्थिति, कार्य की विस्तृत रिपोर्ट, बजट अलाटमेन्ट की रिपोर्ट और फण्ड अलाटमेन्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है।

'पंचायत दर्पण' में होती हैं व्यापक जानकारियाँ - मध्यप्रदेश में पंचायतों से संबंधित जानकारियों का 'पंचायत दर्पण' एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल है। 'पंचायत दर्पण' में निम्न प्रोफाइल से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है जो एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। पंचायत दर्पण जो जानकारी प्रदान करता है वो इस प्रकार है :

- पचास जिला पंचायतों, तीन सौ तेरह जनपद पंचायतों और तेईस हजार छः ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल।
- पंचायत कार्यालयों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग।
- पंचायतों की विभिन्न योजनाओं के विवरण।
- पिछले तीन सालों की बजट आमंत्रण की जानकारी।
- पंचायतों के कोष एवं गतिविधियाँ।
- उपयोगकर्ता का प्रबंध संबंधी मॉड्यूल।
- उपयोगकर्ता का सुरक्षा और प्रबंध से जुड़ा वर्क-फ्लो।

इसी प्रकार 'पंचायत दर्पण' में मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम के अंतर्गत निम्न जानकारियाँ रखी जाती हैं ;

- मानव संसाधन प्रबंध एवं सूचना प्रणाली संबंधी जानकारियाँ।
- लीगल और कोर्ट केस प्रबंध की जानकारियाँ।
- प्रशिक्षण केन्द्र प्रबंधन की जानकारियाँ।
- ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रबंधन की जानकारी।

इस प्रकार 'पंचायत दर्पण' वेबसाइट पंचायत राज संस्थाओं को दिये जाने वाले सभी कोष की जानकारी भी संग्रहित रखता है। यह वेबसाइट और सॉफ्टवेयर केवल दो सरल सिद्धांतों पर काम करता है। यह सिद्धांत हैं केवल दो इनपुट फारमेट - केश बुक और वर्क रजिस्टर ही पंचायत स्तर पर संधारित करना और बाकी सारे डाटा इसी सॉफ्टवेयर से उत्पन्न करना ताकि पंचायतों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ, समुचित एकाउन्टिंग और कार्य स्थिति की जानकारी सुनिश्चित की

जा सके।

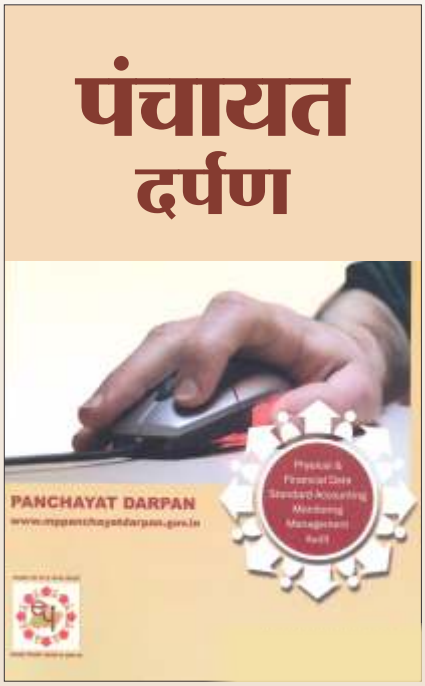

'पंचायत दर्पण' में निम्न आठ प्रारूपों में नौ भिन्न-भिन्न जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है:

- **प्रारूप एक -** प्राप्तियों और भुगतान के लेखे : प्राप्तियाँ और भुगतान के लेखों का यह प्रतिवेदन एक निश्चित समयावधि का भिन्न-भिन्न स्थान के लिए देखा जा सकता है।
- **प्रारूप दो -** कान्सोलडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर : एक निश्चित समयावधि का भिन्न भिन्न स्थानों का कान्सोलडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर भी इस एक प्रारूप में देखा जा सकता है।
- **प्रारूप तीन -** बैंक समाशोधन रजिस्टर : यह रजिस्टर भी एक निश्चित समयावधि में बैंक समाशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता एक्सल शीट से डाटा इम्पोर्ट कर सकता है वह बैंक समाशोधन प्रपत्र से भी डाटा इम्पोर्ट कर सकता है। इससे समाशोधित राशि तथा समाशोधन से शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
- **प्रारूप चार -** प्राप्ति योग्य राशियों का प्रपत्र : एक निश्चित समयावधि में भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्ति योग्य राशियों का प्रपत्र भी एक प्रतिवेदन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **प्रारूप पांच -** भुगतान योग्य राशियों का प्रपत्र : एक निश्चित समयावधि में भिन्न-भिन्न स्थानों से भुगतान योग्य राशियों के प्रपत्र भी प्रतिवेदन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **प्रारूप पाँच -** अचल आस्तियों की पंजी : इस वेबसाइट पर एक पृथक कार्यक्रम, आस्ति समूह, आस्ति संवर्ग और वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों को देखा जा सकता है।
- **प्रारूप छ -** चल आस्तियों की पंजी : इस वेबसाइट पर एक पृथक कार्यक्रम, आस्ति समूह, आस्ति संवर्ग और वित्तीय वर्ष की चल आस्तियों को देखा जा सकता है।
- **प्रारूप सात -** इन्वेन्टरी रजिस्टर : एक खास समूह अथवा एक खास वस्तु का 'इन्वेन्टरी रजिस्टर' भी इस सॉफ्टवेयर में होता है।
- **प्रारूप आठ** - डिमाण्ड कलेक्शन एण्ड बेलेन्स रजिस्टर : एक विशेष वित्तीय वर्ष और देयक के लिए डिमाण्ड कलेक्शन एण्ड बेलेन्स रजिस्टर भी इस सॉफ्टवेयर में देखा जा सकता है। यद्यपि इस सॉफ्टवेयर में डिमाण्ड कलेक्शन का विवरण भी होता है मगर राज्य सरकार एक खास उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित प्रयत्न ऐसे संसाधन को विकसित करने पर ध्यान दे रही है जो मनरेगा से इतर कार्य की माँग का अभिलेखीकरण (दस्तावेजीकरण) कर सके और पंचायतों की कर की क्षमता वर्ष 2014-2015 में बढ़ा सके।

सॉफ्टवेयर के प्रभावी परिणाम : पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर ने कम समय में ही काफी प्रभावी परिणाम दिये हैं। इस सॉफ्टवेयर के सिस्टम में अभी तक एक हजार नौ सौ

इकतालिस करोड़ रुपयों के छप्पन हजार निर्माण कार्यों की प्रविष्टी हो चुकी है। इन निर्माण कार्यों पर आठ सौ तेईस करोड़ रुपये का व्यय भी दर्ज किया गया। यह एक सॉफ्टवेयर जब समवर्ती अंकेक्षक को प्रस्तुत किया गया ताकि वे अपने सुझाव व टिप्पणी दें तो उन्होंने भी सामान्य रूप से डाटा संग्रहण की प्रशंसा की। इन अर्थों में भी यह सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम जानकारी होने पर इससे अधिकतम संख्या में सूचनाएं और प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं।

सॉफ्टवेयर का प्रभाव : पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर का प्रभाव यह हुआ कि सारी व्यवस्था पारम्परिक वाउचर इन्ट्री वाले स्वरूप से सरलीकृत प्रविष्टी स्वरूप में तब्दील हो गई है जिससे उपयोगकर्ता को आसानी से बिना चूक अथवा गलती के प्रविष्टी करना आसान हो गया है। इस सॉफ्टवेयर से काउन्टिंग इन्ट्री करते समय एम.आई.एस. डाटा को पाना आसान हो गया है। इतना ही नहीं इस व्यवस्था में अलग-अलग उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार अलग-अलग इन्ट्री फार्म्स भी उपलब्ध होते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सरलीकृत व्यवस्था से प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग डबल इन्ट्री सिस्टम के अनुसार एकाउन्ट बुक्स का संधारण होता है। सरलीकृत ढंग से लेन देन की प्रविष्टि होने से विभिन्न वित्तीय प्रतिवेदन विशेषतौर पर कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल द्वारा मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एमएएस के आठ पूर्व निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना भी संभव हो जायेगा। पी.एफ.एम.एस. के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिए भी काफी कम प्रयत्न करना होता है।

यह सॉफ्टवेयर विभाग में भौतिक एवं वित्तीय तारतम्य कायम करता है, निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनीटरिंग को संभव बनाता है, इससे बेहतर फायनेन्सियल ई-गवर्नेन्स की स्थिति बनती है क्योंकि सभी डाटा आम जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। यह सॉफ्टवेयर समवर्ती अंकेक्षकों के लिए संगठित वित्तीय डाटा दिये जाते हैं जिससे अकाउन्टिंग से ज्यादा जोर ऑडिटिंग को दिया जाता है। इससे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले सभी योजनाओं और उसके अंतर्गत प्राप्त फण्ड के समेकित करने की प्रक्रिया भी सम्पन्न हो जाती है।

इसी प्रकार मॉनीटरिंग इन्फारमेशन सिस्टम के अंतर्गत जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों एवं नक्शे के मुताबिक पंचायत का स्थान तय होने की स्थिति में उनके डाटा का रखरखाव भी पहले से और आसान हो जायेगा। इसी संदर्भ में कर्मचारियों की जानकारी, उन पर चलाई जा रही विभागीय जाँच की जानकारी भी शामिल की जाएगी। सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण केन्द्र के रखरखाव की पद्धति भी दर्शाई गई है। इसमें प्रशिक्षण केन्द्रों की सभी जानकारी अधोसंरचना विकास और वित्तीय प्रबंधन की भी चर्चा है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - सी. एण्ड ए.जी. ने चार स्तरीय अकाउण्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन (वर्ष वार एवं उस तारीख को), रिसीप्ट एवं पेमेन्ट एकाउन्ट की रपट, कान्सिलिडेटेड एब्सट्रेक्ट रजिस्टर, बैंक रीकंसीलेशन रजिस्टर, स्टेटमेन्ट ऑफ पेयबल, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेन्टरी, डिमाण्ड कलेक्शन और बैलेन्स रजिस्टर, इन्कम एण्ड एक्सपेन्डीचर अकाउन्ट और बैलेन्स शीट। इस सॉफ्टवेयर में लीगल एण्ड कोर्ट कैसेज वाले मामले में निजी व्यक्ति द्वारा फाइल प्रकरण और इम्पलाई द्वारा फाइल प्रकरणों का विवरण होगा।

'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल की गतिविधियाँ : इस वेब पोर्टल में निविदा दस्तावेज फाइल भी होगी जिसे एक नम्बर से जोड़ा जाकर टेण्डर खोले भी जा सकेंगे। इस वेब पोर्टल में सूचना-पत्र, परिपत्र और उनके अद्यतन संस्करण भी डाले जाते हैं। इस वेब पोर्टल पर समाचार और मीटिंग-सेमीनार जैसी गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और प्रशिक्षण के शेड्यूल भी अपलोड किये जाते हैं। पंच परमेश्वर योजना, बेकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड स्कीम, ई-पंचायत, मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना, स्व कराधान योजना, परफारमेन्स ग्राण्ट और अन्य योजनाएँ भी इस वेब पोर्टल पर होंगी।

'पंचायत दर्पण' की उपलब्धियाँ और संभावित प्रगति : पंचायत दर्पण में अभी तक एक लाख पचास हजार निर्माण कार्य, स्वीकृत फण्ड की सूचनाएं, निर्माण कार्यों की स्थिति का विस्तृत विवरण, पारिभाषित समय-सीमा, लगभग पाँच सौ करोड़ रुपयों का व्यय का विवरण, लगभग सात सौ तीस करोड़ रुपयों का आवण्टन विभिन्न शीर्ष में योजनाओं की सूचनाएं, फण्ड की प्राप्तियों का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाणीकरण, वर्ष 2011-2012 से अब तक का समवर्ती अंकेक्षण, प्रत्येक स्तर पर लगभग एक हजार लोगों को प्रशिक्षण का विवरण तथा पचास हजार ऑडिट रिपोर्ट प्रदर्शित की जा चुकी हैं।

सक्षम और सुगम है 'पंचायत दर्पण' का स्वरूप : पंचायत दर्पण में भारत सरकार के आदेश के अनुरूप यूनीकोड फाण्ट ही इस्तेमाल किया गया है। अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा अनुशंसित रिपोर्टिंग फारमेट और तीन स्तर का एकाउन्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सरकार के मानदण्ड के अनुरूप सिक्यूरिटी ऑडिट, यूजर फ्रेण्डली प्लेटफार्म एण्ड इन्टरफेसेस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मोबाइल पर उपलब्धता भी इसमें हैं। इसी प्रकार यह सॉफ्टवेयर डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए 'प्रिया साफ्ट' के अनुरूप है। सी एम एस आधारित वेबसाइट और डायनामिक पोर्टल भी इसकी विशेषता है। कार्यदशाओं तथा कार्यप्रवाह के अनुरूप होने के अलावा यह वेब पोर्टल ब्राउचर मित्र और फायर फॉक्स, क्रोम और आई.ई. से भी सामंजस्य बैठा लेती है।

● विनोद शर्मा

समवर्ती अंकेक्षण और पंचायत राज संस्थाएं

मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पंचायत राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढाँचे में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 'कॉनकरेन्ट ऑडिट' आरंभ कर दिया गया है। तेरहवें वित्त आयोग तथा योजना आयोग के स्थानीय संस्थाओं के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देशों का प्रभावी अमल भी पहली बार मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। यह अंकेक्षण त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के समूचे संगठन पर लागू होगा तथा अन्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयाँ, राज्य मुख्यालय और पंचायत राज व्यवस्था पर अमल करने वाले विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय पर भी अंकेक्षण सौ फीसदी लागू होगा।

लेखा संधारण और अंकेक्षण के प्रभावी प्रबंध के लिए मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पंचायत राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढाँचे में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 'कॉनकरेन्ट ऑडिट' आरंभ कर दिया गया है। तेरहवें वित्त आयोग तथा योजना आयोग के स्थानीय संस्थाओं के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देशों का प्रभावी अमल भी पहली बार मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। यह अंकेक्षण त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के समूचे संगठन पर लागू होगा तथा अन्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयाँ, राज्य मुख्यालय और पंचायत राज व्यवस्था पर अमल करने वाले विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय पर भी अंकेक्षण सौ फीसदी लागू होगा। पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली विभिन्न एजेन्सियों और उनकी कन्सलटेन्सी व कान्ट्रेक्ट पर भी 'समवर्ती अंकेक्षण' के प्रावधान लागू रहेंगे। समवर्ती अंकेक्षण के लिए नियुक्त एजेन्सी पंचायत राज संस्थाओं की हर स्तर पर सहयोग देंगी ताकि पंचायतें ऑनलाइन उपलब्ध लेखों के बुककीपिंग की व्यवस्था को और बेहतर बना सकें।

अभी तक यह व्यवस्था प्रचलित थी - समवर्ती अंकेक्षण की नई व्यवस्था लागू होने के पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में प्रतिवर्ष, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अंकेक्षण होता था। अभी तक जिला पंचायतें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और मनरेगा के लिए पृथक-पृथक सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) फर्म की नियुक्ति करती थीं। इसके अलावा पूरे जिले के लिए एक पृथक सनदी लेखापाल की नियुक्ति मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल भी करता था। साल में एक बार वह भी वर्षान्त में होने वाले मौजूदा अंकेक्षण से सतत होने वाले समवर्ती अंकेक्षण काफी बेहतर होता है क्योंकि इससे उस व्यक्ति जिसे यथोचित लेखा एवं निर्माण कार्यों के सभी उपयुक्त दस्तावेजों को समय पर तैयार करने का दायित्व होता है उस पर सालाना अंकेक्षण प्रबंध से कोई दबाव नहीं बनता था जबकि समवर्ती अंकेक्षण से उसे हर दिन परीक्षण के लिए तैयार होना पड़ेगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि पंचायतों में खासतौर पर सुदूरवर्ती पंचायतों में जो व्यक्ति लेखा संधारण करता है उसे लेखा पुस्तकों के संधारण के मानकों का समुचित ज्ञान नहीं होता है लेखा से संबंधित प्रचलित कानूनों की भी उसे जानकारी नहीं होती है। वो लेखा से जुड़े बदलावों, बदलते कानूनों और रेगूलेशन्स खासतौर पर करों आदि के बारे में भी अद्यतन नहीं होता है। और इसीलिए समवर्ती अंकेक्षण करने वाला अंकेक्षक उस लेखापाल को समुचित एवं एकदम सही तरीके से सभी दस्तावेजों और अभिलेखों का संधारण करने में सहायता करते हैं जो एक जरूरी कानूनी बाध्यता भी है।

प्रत्येक संगठन अथवा संस्थान यथा बैंक्स, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, पब्लिक-प्रायवेट फायनैन्स संस्थाएं और कम्पनियाँ भी अंकेक्षण की अपनी संस्थागत व्यवस्था अथवा वार्षिक अंकेक्षण के अलावा या तो अपने आंतरिक स्रोतों से अथवा बाहरी अंकेक्षण दलों द्वारा समवर्ती अंकेक्षण करवाती हैं। इसी से यह भी महसूस किया गया कि इसी प्रकार समवर्ती अंकेक्षण पंचायत राज संस्थाओं के लिए भी जरूरी है। इस अंकेक्षण से इस बात में सहायता मिलेगी कि राज्य

सरकार जो कोष का हस्तांतरण पहले जिला पंचायत को और जिला पंचायत से जनपद पंचायत को और जनपद पंचायतों से अंतत; ग्राम पंचायतों को करता है वो तयशुदा प्रयोजन पर ही खर्च हुआ है यह सुनिश्चित हो गया है। समवर्ती अंकेक्षण से अंकेक्षण का मानकीकृत स्वरूप तो सामने आता ही है साथ ही अंकेक्षण प्रक्रिया भी जो साल भर तक चलती थी वो अब एक या दो माह में सीमित रह जावेगी

पंचायत राज संस्थाओं में समवर्ती अंकेक्षण के लाभ एवं एडवान्टेज- समवर्ती अंकेक्षण जैसा कि उसके नाम से ही सुपरिभाषित है कि यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। समवर्ती अंकेक्षण से आशय है कि वो अंकेक्षण जो समय पर सम्पन्न हो जाये। समवर्ती अंकेक्षण अर्थात एक ऐसा अंकेक्षण जो वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया जब जारी हो उस समय उसका अंकेक्षण करता है। कभी कभी अंकेक्षण की यह प्रक्रिया सामान्य अर्थात रुटीन अंकेक्षण के साथ भी सम्पन्न होती है। समवर्ती अंकेक्षण से वित्तीय लेन देन की समय पर जाँच संभव हो पाती है उससे उन संस्थाओं में यानी पंचायत राज संस्थाओं में लेखा एवं अभिलेखों की समय पर संधारण की स्थिति बनती है। इससे पंचायत अधिकारियों की समय पर सभी लेखाओं तथा अभिलेखों के संधारण की आदत भी बनती है। समवर्ती अंकेक्षण से पंचायतों में उपलब्ध धनराशि और धन राशि के उपयोग होने के बीच अभी जो अन्तर होता है वो अन्तर भी घट जाएगा क्योंकि अब कोई भी धनराशि अप्रयुक्त रही तो वो ऑडीटर के ज्ञान में रहेगी और वो इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा इससे कम से कम उस विशेष ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत में तो वित्तीय अनुशासन की स्थिति बनेगी। समवर्ती अंकेक्षण से जनपद एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध कोष का पुनर्संयोजन यानी रीकन्सीलेशन की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि अब कोष का प्रतिमाह पुनर्संयोजन होगा। समवर्ती अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि एक मजबूत और वित्तीय तथा लेखागत प्रबंध व्यवस्था पंचायत स्तर पर विकसित होगी। इस विकसित प्रबंध व्यवस्था से एक अन्तर्वर्ती नियंत्रण बनेगा जिससे पंचायतें ज्यादा सक्षमता से काम कर सकेंगी। इस प्रकार राज्य स्तर पर जब त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में समवर्ती अंकेक्षण का निर्णय लिया गया तो इस संबंध में इस अंकेक्षण के उद्देश्यों को 'टर्म ऑफ रिफरेन्स' में शामिल कर सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति की जा रही है।

समवर्ती अंकेक्षण के अपेक्षित परिणाम -

- केश एवं बैंक बेलैन्स।
- दस्तावेजीकरण और वाउचर्स की करेक्ट पोस्टिंग अर्थात एप्रूव्हड और अथेंटिकेटेड वाउचर्स की पोस्टिंग।
- लीकेज की तलाश कर कोष की उपयुक्त उपयोगिता सुनिश्चित करना।
- त्रुटियों का पता लगाना, उसे रोकना तथा मिटाना।
- लेखा पुस्तकों जिसमें बैंक की पासबुक भी शामिल हो उनका रीकन्सीलेशन।

समवर्ती अंकेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं - समवर्ती अंकेक्षण के महत्व का जहाँ तक सवाल है मुख्य रूप से आठ दृष्टव्य महत्व की चर्चा के केन्द्र बिन्दु में रहे हैं ये बिन्दु हैं -

एक - समवर्ती अंकेक्षण मुख्य रूप से एक प्रबन्धकीय प्रक्रिया है जो एक मजबूत अन्तरवर्ती एकाउन्टिंग फंकशन्स और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाती है।

दो - समवर्ती अंकेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि लेखा की सभी पुस्तकें, दस्तावेज और दीगर कागजात जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें सनद रखा जाए और विभिन्न जरूरतों और विनियमों के अनुरूप उसका रखरखाव भी हो और यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी लेखे एवं लेखा पुस्तकें मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप हों।

तीन - समवर्ती अंकेक्षण यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है कि सभी जरूरी दस्तावेज और सपोर्टिंग अभिलेख, लेखे एवं रिकार्ड उस योजना पर हुए व्यय के सापेक्ष हों, जिस योजना से वे सम्बद्ध हैं। लेखा पुस्तकों और प्रतिवेदन, जो जिला कार्यालय और मुख्यालय को भेजे गए हैं उनमें सुस्पष्ट संबंध होना चाहिए। योजना से जुड़े सभी लेन देन व्यवस्थित रूप से योजना के लेखा संबंधी मानकों के अनुरूप ऐसे लेखा कार्य के रूप में तैयार किये जाएं जो योजना की वित्तीय स्थिति की सही और सच्ची तस्वीर पेश कर सकें।

चार - सभी लेन देन की समुचित रिकार्डिंग हो। लेन देन की समुचित रिकार्डिंग, डाक्यूमेन्टेशन और वाउचिंग हो। अनियमितताओं का मौके पर ही सुधार हो और क्रियान्वयन की पद्धति और प्रक्रिया को भी मौके पर दुरुस्त किया जाता हो।

पाँच - समवर्ती अंकेक्षण यह भी आश्वस्त करता है कि समूची धनराशि जो भारत सरकार, राज्य सरकार और धनराशि मुहैया कराने वाली एजेन्सी द्वारा मुहैया करवाई जाती है वह धनराशि इन संस्थाओं द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों, डायरेक्टिव ऐक्ट्स और नियमों के अनुरूप उपयोग में लाई जाये और उपयोग के दौरान मितव्ययिता, दक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

छः - समवर्ती अंकेक्षण सभी वैधानिक कम्पलाइन्सेस, भुगतान और वापसी के संदर्भ में एक वैधानिक नियंत्रण व रोक रखता है और वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि विभिन्न वैधानिक भुगतानों के रिटर्न्स को समय पर और सही फाइल किया जाये ताकि गड़बड़ी होने की स्थिति में दण्डात्मक शुल्क से बचा जा सके।

सात - समवर्ती अंकेक्षण प्रक्रियागत समयावधि को भी घटाता है। किसी भी वित्तीय लेनदेन और उसका एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवस्था की पारम्परिक खामियों पर नियंत्रण व रोक लगाती है। समवर्ती अंकेक्षण इसी प्रक्रिया के सम्पन्न होने की अवधि को घटाता है।

आठ - समवर्ती अंकेक्षण करवाने से लेखा से जुड़े कर्मचारियों की दक्षता, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का भाव बढ़ाने में तो सहायता होता ही है साथ ही कर्मचारी एक सतर्क समवर्ती अंकेक्षण के मार्गदर्शन में काम करने से अपने कर्तव्य के निर्वहन में एक उत्तरदायित्व को भी महसूस करता है।

समवर्ती अंकेक्षण से एक आधार बनता है - समवर्ती अंकेक्षण करवाने से जो एक प्रमुख उद्देश्य पूरा होता है वो है लेखा कार्य में एक आधार बनाना जो लेखाकार्य की कमियों को उजागर भी करता है और भविष्य में उनकी समाप्ति या कमी का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ये कमियाँ हैं -

- ए - विस्मरण और क्रियान्विती की त्रुटियाँ।
- बी - डिफलेक्शन, चोरी, नुकसान, कोष में हेराफेरी या कोष का मिसप्रोपिएशन।
- सी - बड़ी वित्तीय अनियमितताएं।
- डी - प्रक्रियागत चूक।
- ई - लेखे से जुड़ी त्रुटियाँ।
- एफ - वैधानिक विनियमों का पालन न करना।
- जी - दस्तावेजीकरण संबंधी कमियाँ।
- एच - आस्तियों और दायित्वों के निर्धारण में कमियाँ।

समवर्ती अंकेक्षण की लाभदायिता - किसी भी एक संगठन के लिए समवर्ती अंकेक्षण एक अत्यंत लाभदायी तरीका है क्योंकि इस अंकेक्षण में आर्थिक लेन देन की खामियों, कमियों और चूकों को लेन देन के समय अंकेक्षण कर मौके पर ही पता लगा लिया जाता है जबकि प्रचलित अंकेक्षण पद्धति में फिर चाहे वो वैधानिक अंकेक्षण हो अथवा वित्तीय अंकेक्षण, लेन देन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद अंकेक्षण होता है। समवर्ती अंकेक्षण में कार्यरत कर्मचारी की दक्षता और प्रभावशीलता तो बढ़ती ही है साथ ही संधारित लेखा पुस्तकों की क्वालिटी और विश्वसनीयता भी बढ़ती है और संगठन का समग्र प्रदर्शन भी सुधरता है। समवर्ती अंकेक्षण के संबंध में एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में से ग्राम पंचायतों की निम्न लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों का परीक्षण राज्य शासन द्वारा निर्धारित योजना के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार अथवा इस संबंध में किये गये अनुबंध के अनुसार करता है। इसके लिए अंकेक्षक को सपोर्टिंग मस्टर रोल, व्हाउचर्स और बिल देने होते हैं।

समवर्ती अंकेक्षण में मुख्य रूप से केश बुक, प्राप्ति एवं भुगतान का स्टेटमेन्ट, बैंक और पोस्ट ऑफिस का रीकन्सीलेशन स्टेटमेन्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यदि कुछ जारी किये गए हों), मस्टर रोल रिसीप्ट रजिस्टर, वर्क्स रजिस्टर, जॉबकार्ड इश्यू रजिस्टर, आस्तियों (असेट्स) का रजिस्टर और मंथली अलाटमेन्ट एण्ड यूटीलाईजेशन वॉच रजिस्टर तथा ओरीजनल वाउचर, चालान और बिलों का परीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं यथा मनरेगा आदि में कम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल के मानकों से अंकेक्षण के अनुपालन में यह समवर्ती अंकेक्षण होगा अतः प्रदेश की सभी तेईस हजार छः ग्राम पंचायतों के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे अपने सभी वित्तीय एवं लेखा अभिलेख फाइनेन्सियल बुककीपिंग एण्ड ऑडिट के मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थित और अद्यतन रखें।

● **शरद शुक्ला**

‘पंचायत दर्पण’ पोर्टल की कुंजी है मार्गदर्शिका

कम्प्यूटर के बढ़ते अनुप्रयोग से दफ्तरों से कागज तो धीरे-धीरे हट ही रहे हैं अब प्रदेश के लगभग सभी विभागों में आर्थिक लेन देन, आदेश-निर्देश का जारी करना, विज्ञप्तियों-परिपत्रों और निविदाओं का जारी करना तथा केश बुक, लेजर, मस्टर रोल, विभिन्न कोष और निधियों के लेखों का संधारण और केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न निर्माण योजनाओं, प्रगति तथा इन योजनाओं पर व्यय और निर्माण कार्यों की जानकारी अब कम्प्यूटर पर बस एक क्लिक के फासले पर होती है। कम्प्यूटर के इसी बढ़ते अनुप्रयोग का लाभ लेकर मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्पादित होने वाले कार्यों तथा सभी अभिलेखों, दस्तावेजों और लेखों को समेकित रूप से एक ही स्थान पर मुहैया करवाने के लिए एक वेबसाइट और वेब पोर्टल ‘पंचायत दर्पण’ प्रस्तुत किया है।

सामान्यतया ऐसा वेब पोर्टल अथवा वेबसाइट सुपरिभाषित होता है तथा इस तक कम्प्यूटर उपयोगकर्ता आसानी से पहुँच जाता है मगर फिर भी ई-साक्षरता से तारतम्य न बैठा पाने वाले हितग्राहियों तथा जानकारी चाहने वाले या संबंधित विभाग और योजनाओं से जुड़े उपयोगकर्ता वेब पोर्टल की जानकारी से बाबस्ता होकर वेब पोर्टल को खोल सकते हैं, और ऐसे उपयोगकर्ता के लिए ही पंचायत राज संचालनालय ने एक बत्तीस पेज की मार्गदर्शिका मीनू बार सहित तैयार की है। बत्तीस पृष्ठीय इस मार्गदर्शिका वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर पंचायत राज संचालनालय और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की जानकारी दी गई है।

इसी पृष्ठ पर पंच परमेश्वर व बी.आर.जी.एफ. योजना के बजट आवण्टन की भी जानकारी है। इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध मीनू बार से परिचय करवाया गया है और विभागीय डायरेक्टरी में पंचायत राज संचालनालय, पंचायत राज संचालनालय के अधीनस्थ संभागीय और जिला कार्यालय एवं सभी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की डायरेक्टरी से जुड़ी जानकारी संकलित है। इस एक वेबसाइट पर लॉग इन कैसे करें यह जानकारी भी दी गई है। इसके बाद पंचायत राज संस्थाओं से जुड़ी न्यायालयीन प्रकरणों की प्रविष्टि भी की गई है। पंचायत राज संचालनालय तथा विभाग के सभी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी, कार्यालयों की मूलभूत जानकारी और ग्राम पंचायतों की मूलभूत जानकारी भी इस वेबसाइट में होती है। पंचायत खासतौर पर ग्राम पंचायतों की जितनी विस्तृत जानकारी इस वेब पोर्टल पर दी गई है वैसी इसके पूर्व कभी किसी एक स्थान पर और इतनी सुगमता से नहीं मिल पाती थी।

मार्गदर्शिका में चुनिन्दा जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत का डाटा कैसे प्रविष्ट करना, मास्टर इन्ट्री कैसे डालना, विभिन्न योजनाओं के बैंक खातों की मास्टर इन्ट्री को कैसे प्रविष्ट करना, योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों की मास्टर इन्ट्री को कैसे प्रविष्ट करना, पहले से प्रविष्ट कार्य के वाउचर को कैसे रद्द करना, कार्यों का ट्रांजेक्शन कैसे करना, संरक्षित कार्य का बदलाव कैसे करना, पहले से प्रविष्ट कार्य को रद्द कैसे करना, विभिन्न योजनाओं के खातों की चेक बुक कैसे जारी करना, बैंक समाशोधन कैसे करना, ईवेन्ट्री की जानकारी कैसे प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट खासतौर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आठ प्रपत्रों के डाटा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधी विवरण भी आसानी से मार्गदर्शिका में दर्शित विधि से प्राप्त की जा सकती है। कुल मिलाकर यह मार्गदर्शिका ‘पंचायत दर्पण’ वेब पोर्टल के लिए एक कुँजी (की) के समान है।

वेब पोर्टल ‘पंचायत दर्पण’ की मार्गदर्शिका, प्रकाशक - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन।

● **राजा दुबे**

पंचायत राज संस्थाएं और संवैधानिक प्रावधान

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन के लिए वित्तीय प्रबंधन और कॉनकरण्ट ऑडिटिंग के लिए तैयार किए गए 'वेब पोर्टल - पंचायत दर्पण' पर 30 अप्रैल 2014 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित छः प्रान्तों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश के पंचायत राज संचालनालय और महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 'पंचायत दर्पण' के नाम से एक वेब पोर्टल का नवाचार भी प्रस्तुत किया गया। यह वेब पोर्टल भौतिक एवं वित्तीय आंकड़ों, स्टेण्डर्ड एकाउण्टिंग, मानीटरिंग, प्रबंध एवं अँकेक्षण से जुड़े त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर मुहैया करवाता है। पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय अभिलेखों के जनरेशन (उत्पत्ति) की दृष्टि से 'पंचायत दर्पण' एक अनूठा वेब पोर्टल है जो मध्यप्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के सन्दर्भ में 'कॉनकरण्ट फायनेन्सियल ऑडिटिंग' का मॉडल प्रस्तुत करता है।

पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिक गठन की पृष्ठभूमि - आज़ादी के बाद निर्वाचित भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवन्तराव मेहता कमेटी का गठन किया जिसे 1952 से लागू सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में लागू राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के कामकाज को जाँचना और उनकी बेहतरी के लिए सुझाव देना था। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने मेहता कमेटी की अनुशंसाओं को स्वीकृत कर समूचे देश में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की भूमिका तैयार की और कमेटी ने जो 'प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण' की योजना को स्थापित किया वो 'पंचायत राज' के नाम से जानी गई। वर्ष 1950 से 1960 के बीच विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया और राज्यों ने पंचायत राज की स्थापना के लिये कानून भी पारित किए गए। वर्ष 1992 में संविधान में किए गए तिहत्तरवें संशोधन से पंचायत राज की स्थापना के लिए एक ठोस संवैधानिक जनादेश मिला। इस संविधान संशोधन में पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक विकास की योजनाएँ तैयार करने, सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दर्शित उन्नीस विषयों पर निर्णय लेने के लिए सभी पंचायत राज संस्थाओं को अधिकारों और दायित्वों के प्रत्यायोजन के भी समुचित प्रावधान रखे गए।

पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान - देश के संविधान के नौवें भाग में अनुच्छेद 243 में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों को सक्रिय बनाने से जुड़े मार्गदर्शी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन (कांस्टीट्यूशन), 243-सी में पंचायतों का संयोजन (कम्पोजीशन), 243-जी में पंचायतों के अधिकार, शक्तियाँ और दायित्व, 243-एच में पंचायतों द्वारा कर लगाये जाने की शक्तियों और कोष के संचालन, 243-आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन और 243-जी में पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण के प्रावधान हैं। पंचायतों के रूप में एक पारम्परिक स्वशासन के स्वरूप को एक औपचारिक ढाँचे के स्वरूप देने उनमें समानता लाने तथा उनके प्रभावी कामकाज के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। विकेन्द्रीकरण और जनता के हाथ में ताकत देने के दर्शन पर आधारित इस प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन की बुनियादी पुनर्संरचना से लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह संशोधन किये गये हैं।

संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन इन अर्थों में ऐतिहासिक कदम था कि इसमें पहली

गाँवों अथवा गाँवों के समूह में ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत क्षेत्र के निवासियों के हाथ में निर्णय लेने की शक्ति सौंपी जाने के अलावा संविधान संशोधन के बाद बने पंचायत राज अधिनियम में पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान भी किए गए। गाँवों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए राज्य सरकार के कई अधिकार भी पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। इस नए पंचायत राज अधिनियम में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने की पहल भी की गई है और इसके लिए राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर राज्य शासन के समेकित कोष से पंचायतों को ग्राण्ट-इन-एड दिये जाने के प्रावधान भी रखे गए।

बार पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया और हर पाँच साल में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। इस संविधान संशोधन में यह भी सुनिश्चित किया गया कि संविधान की ग्यारहवीं सूची के कौन-कौन से कार्य पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे। गाँवों अथवा गाँवों के समूह में ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत क्षेत्र के निवासियों के हाथ में निर्णय लेने की शक्ति सौंपी जाने के अलावा संविधान संशोधन के बाद बने पंचायत राज अधिनियम में पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान भी किए गए। गाँवों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए राज्य सरकार के कई अधिकार भी पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। इस नए पंचायत राज अधिनियम में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने की पहल भी की गई है और इसके लिए राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर राज्य शासन के समेकित कोष से पंचायतों को ग्राण्ट-इन-एड दिये जाने के प्रावधान भी रखे गए। पंचायतों को तयशुदा कर राशियों, शुल्कों, टोल से वसूली जाने वाली राशियों और फीस का पंचायतों का प्रत्यायोजन भी इस अधिनियम में प्रावधानित था। इस अधिनियम में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी था जो पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा, पंचायत राज संस्थाओं के एकाउण्ट का अंकेक्षण करेगा तथा पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगा। पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था भी की गई।

तेरहवाँ वित्त आयोग बनाम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रबंधन - त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं खासतौर पर ग्राम पंचायतों को इस प्रकार साधन सम्पन्न बनाया जाएगा कि वे इन्टीग्रेटेड डाक्यूमेन्ट एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम का क्रियान्वयन तथा प्रबंध कर सके। ग्राम पंचायतों को कम से कम निम्न अभिलेखों के प्रबंधन व क्रियाशीलता को सुनिश्चित करना होगा :

- एक कार्यकारी विषयवार फाईल प्लान का प्रबंध करना जिससे पंचायत के सभी अभिलेख पंजीबद्ध किये जा सकें।
- सभी ई-मेल को अभिलेख के रूप में व्यवस्थित करना।
- सभी वेबसाइट्स को अभिलेख के रूप में व्यवस्थित करना।
- रिकार्ड्स और फाईलों के बीच तथा फाईल प्लान और फाईल सिरीज के बीच संबंधों को बनाना।
- अभिलेख जिनका निपटान किया जाना है उनकी पहचान करना और उनकी निपटान प्रक्रिया की व्यवस्था करना।
- किसी भी अभिलेख के 'कांस्टेक्चुअल' और आँकड़ों को जोड़ना।
- ऑडिट ट्रायल को बनाना और उसका प्रबंध करना।
- रिकार्ड वर्सन कन्ट्रोल की व्यवस्था करना।
- रिकार्ड्स जब वे रिकार्ड्स के रूप में घोषित हों तब उनकी सदाशयता (इन्टीग्रिटी) और विश्वसनीयता (रिलायविलिटी) का प्रबंध करना।
- सभी अभिलेखों का सभी प्रारूपों में समेकित रूप से प्रबंध करना।

सभी सरकारी निकाय की क्षमता स्वचालित एकीकृत दस्तावेज एवं अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था की कायमी भी नहीं होता है मगर इसका यह अर्थ भी नहीं कि वे अपने इलेक्ट्रानिक अभिलेख का प्रबंध भी न करे। निर्णय किये जाने की क्षमता के साथ यदि ऐसे

अभिलेखों का प्रबंध भी किया जाता है तो पंचायतों का यह निर्णय सरकार के लिए भी सहयोगी होगा। पंचायतें यदि ऐसे वातावरण में भी अपने अभिलेखों की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं करती है तो यह अभिलेखों का अवैध निपटान होगा। वैसे भी पंचायतों को अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए भी 'इन्टीग्रेटेड डाक्यूमेंट एण्ड रिकार्ड सिस्टम' को अपनाने के प्रभावी अभिलेख प्रबंध का काम तो देख ही सकती है।

मध्यप्रदेश में पंचायत राज - मध्यप्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 पारित होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना हो गई थी। पंचायत राज की स्थापना के साथ ही प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और पंचायतों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई थी। पंचायत राज संबंधी संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन होने के बाद पंचायत चुनाव करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के गठन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था का प्रभावी विकेन्द्रीकरण करना था ताकि पंचायतों का ऐसा 'ईकोसिस्टम' बनाना है जो गाँव में सामान्यजन तक बेहतर सुशासन और प्रशासन को बेहतर बना सके। प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम ने पंचायतों द्वारा करारोपण और कोष के हस्तान्तरण को सहज बनाया और राष्ट्रीय वित्त आयोग के समान ही राज्य वित्त आयोग भी पंचायतों को अनराईड कोष पंचायतों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243-सी के समान ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम सभा अधिनियम 1993 धारा दस में जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान रखे गये जबकि संविधान के अनुच्छेद 243-जी के समान ही प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में पंचायतों के संचालन से जुड़े राज्य शासन के अधिकार दर्शाए गये हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243-एच में जो पंचायतों द्वारा कर लगाये जाने और कोष निर्माण के जो प्रावधान हैं उसी के समतुल्य प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम की धारा 74 में पंचायतों को भूमि पर कर (सेस) लगाने और धारा 75 में विकासखण्ड की सीमा में ही सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क (ड्यूटी) लगाने के प्रावधान हैं। अधिनियम की ही धारा 77 में ही दीगर कर लगाने के भी प्रावधान हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243-एल में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया है उसीके समकक्ष राज्य में भी राज्य वित्त आयोग के गठन की पहली अधिसूचना 25 फरवरी 1995 को जारी की गई, इस आयोग को अप्रैल 1996 से मार्च 2001 तक की अवधि की समीक्षा करनी थी। दूसरे राज्य वित्त आयोग की अधिसूचना 17 जून 1999 को जारी की गई, इस आयोग को अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक की अवधि की समीक्षा करनी थी। तीसरे राज्य वित्त आयोग की अधिसूचना 12 जुलाई 2006 को जारी की गई, इस आयोग को अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि की समीक्षा करनी थी। इसी प्रकार संविधान की धारा 243-एल में पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का जो प्रावधान था उसके समकक्ष ही राज्य के पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 में पंचायतों के अंकेक्षण के प्रावधान भी रखे गए हैं।

पंचायतों के लिए विभिन्न कोष के स्रोत और उनका प्रत्यायोजन- प्रदेश में पंचायतें मुख्य रूप से इन स्रोतों से कोष के लिए धनराशि प्राप्त करती है। पहला स्रोत केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकाय के लिए अनुदान का है, दूसरा स्रोत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाले कोष का है, तीसरा स्रोत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए कोष का होगा और चौथा तथा महत्वपूर्ण स्रोत स्टैम्प ड्यूटी पर उगाहे जाने वाले शुल्क (सेस) के हिस्से तथा कार्यों (फंक्शन्स), वित्त (फायनेन्सेस) और कार्यरत अमले (फंक्शनरीज) के प्रत्यायोजन के स्वरूप में प्राप्त होगा। पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न कोषों के प्रत्यायोजन का भी ऐसा प्रबंध किया गया है कि पंचायतें सुनियोजित तरीके से विभिन्न योजना का कन्वर्जन कर विभिन्न वित्तीय स्रोतों को समेकित कर सके। पंचायतों के सशक्तीकरण और उनको उत्तरदायी बनाने के लिए भी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जायेंगी। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से और प्रदेश के विभिन्न विभागों से भी इक्यावन जिला पंचायतों, तीन सौ तेरह जनपद पंचायतों और तेईस हजार छः ग्राम पंचायतों तक कोष का प्रवाह रहेगा।

पंचायतों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ एवं दायित्व - पंचायतों को मुख्य रूप से गाँवों की आर्थिक विकास योजनाएँ और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व का निर्वाह संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिये गए उन्तीस विषयों पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं बनाकर पंचायतें करायेंगी। पंचायत राज संस्थाएं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और मध्यप्रदेश सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी भी और उन पर अमल भी करेंगी। दोनों ही सरकारों ने पंचायत राज संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली और क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की सूची भी जारी की गई है। यह योजनाएं या तो सेन्टर सेल्टर स्कीम होंगी, या एडीशनल सेन्टर असिस्टेन्ट स्कीम होंगी, या राज्य की स्टेट स्पेसिफिक अथवा केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार की संयुक्त क्षेत्र की योजना होंगी। केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दोनों ही सरकारों द्वारा गठित वित्त आयोग तथा मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्र सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्य सरकार का मुद्रांक शुल्क विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

● जगदीश चन्द्र चतुर्वेदी

भोपाल में 30 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत दर्पण वेब पोर्टल का लोकार्पण हुआ।
पंचायत दर्पण पोर्टल पर ग्राम पंचायतें, जानकारी, प्रविष्ट कर रही हैं।
इसी क्रम में ग्राम पंचायत हर्दीशंकर की जानकारी प्रकाशित की गयी है।

भोपाल में 30 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत दर्पण वेब पोर्टल का लोकार्पण हुआ। पंचायत दर्पण पोर्टल पर ग्राम पंचायतें, जानकारी, प्रविष्ट कर रही हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत किल्लोद की जानकारी प्रकाशित की गयी है।

कार्य कि स्थिति	संख्या	राशि (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)
नये अनुमोदित	0	0.00	0.00
पूर्व वर्षों के अपूर्ण कार्य	5	19.68	4.24
कुल कार्य	5	19.68	4.24
वर्ष में पूर्ण कार्य	0	0.00	0.00
वर्ष के प्रगतिरत कार्य	4	14.68	4.15
वर्ष के विलंबित कार्य	1	5.00	0.09
शेष कार्य	0	0.00	0.00

भारतीय वांगमय में पंचायती राज

ग्रामसभाएं वैदिककालीन थीं। उस समय भी 'सभा' होती थी और 'समिति' भी। सभा और समिति नाम संस्थाओं के स्वरूप अथर्ववेद का एक सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूक्त इस प्रकार है - निश्चय ही पहले 'विराट' (अराजक या राज्य संस्था विहीन) दशा थी, इस दशा के उत्पन्न होने के कारण सब डरे कि क्या सदा यही दशा रहेगी। इस विराट दशा में उत्क्रांति (परिवर्तन, विकास) हुई, यह विराट दशा गार्हपत्य दशा में उतरी। इस गार्हपत्य संगठन में भी उत्क्रांति हुई, और यह गार्हपत्य दशा 'आवहनीय' दशा के रूप में परिणत हुई। इस आवहनीय संगठन में भी उत्क्रांति हुई जिससे 'दक्षिणाग्नि' की दशा आई। जो कोई यह जानता वह 'वसती' में निवास के योग्य होता है। इस दक्षिणाग्नि दशा में भी उत्क्रांति हुई, और सभा की दशा आई। जो कोई यह जानता है, वह सभा का सभ्य बनता है। सभा की इस दशा में भी उत्क्रांति हुई, और समिति की दशा आई। जो कोई यह जानता है, वह समिति का सामितेय बनता है। इस समिति दशा में भी उत्क्रांति हुई और आमंत्रण की दशा आई। जो यह जानता है, वह आमंत्रण का आमंत्रणीय बनता है। अथर्ववेद के इस सूक्त में मानव-समाज और उसकी संस्थाओं के क्रमिक विकास का बड़े सुन्दर व स्पष्ट रूप से वर्णन है। पहले विराट या अराजक दशा थी जिससे सब लोग भयभीत व आशंकित हो गए। महाभारत में भी इसी विचार को प्रकट किया गया है। इस दशा में उत्क्रांति होकर सबसे पहले गार्हपत्य दशा आई। लोग परिवार के रूप में संगठित हुए। मानव-समाज का सबसे पहला संगठन 'परिवार' ही था जिसमें पति, पत्नी व संतान एक संगठित व मर्यादित जीवन व्यतीत करते थे। गार्हपत्य व पारिवारिक संगठन में उत्क्रांति होकर 'आहवनीय' दशा आई। आहवनीय शब्द का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है, जिसमें बुलाया जाए, आव्हान किया जाये। संभवतः यह ग्राम के संगठन को सूचित करता है, जिसमें विविध कुलों के कुलमुख्यों को आव्हान द्वारा एकत्र किया जाता था। आहवनीय संस्था के बाद 'दक्षिणाग्नि' संस्था का विकास हुआ। दक्षिण का अर्थ चतुर है, और अग्नि का अग्रणी। इस संस्था में संभवतः गांवों के चतुर अग्रणी एकत्र होते थे। यह ग्राम की अपेक्षा अधिक बड़े संगठन को सूचित करता है जो संभवतः जनपद या राष्ट्र का ऐसा संगठन था, जिसमें ग्रामों के योग्य नेता (ग्रामणी) एकत्र होते थे। इसके बाद सभा और समिति नामक संस्थाओं का विकास हुआ जो राष्ट्र या जनपद की ही संस्थाएं थीं। राष्ट्र का ही एक और अधिक बड़ा संगठन था, जिसे 'आमंत्रण' कहते थे। आमंत्रण शब्द ही इस बात को बताता है कि इसमें शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को निमंत्रित किया जाता था।

संगच्छध्वं, संवद्ध्वं
संवोमनांसि जानताम्
समानी व आकुतिः
समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो,
यथा वः सुसहासति।।

ऋग्वेद की इन पंक्तियों में यह इच्छा प्रकट की गई है कि सभा समिति के लोग साथ-साथ चलें, एक साथ बात करें एवं एक-दूसरे के मन को जानें, उनका निश्चय समान हो, हृदय समान हो, मन समान हो जिससे समाज सुखी रहे।

अथर्ववेद के इस सूत्र का बहुत अधिक महत्व है। संभवतः यह प्राचीनतम संदर्भ है जिसमें राज्य संस्था की उत्पत्ति और विकास पर विचार करने का यत्न किया गया है।

मेघातिथि ने मनुस्मृति में वर्णित 'श्रेणी' नामक संस्था को भी स्वशासी संगठन माना था जिसमें चारों वेदों में निपुण पंडित, व्यापारी, साहूकार, शिल्पी आदि होते थे।

जाति जानपदान्धमनि श्रेणी धर्माश्र धर्मावित।
समीक्ष्य कुल धमाश्र स्वधर्म प्रतिपालयेत्।।
(मनुस्मृति)

महाभारत में व्यापारियों का स्वशासी संघ श्रेणी माना गया। श्रेणी संगठन अपना कानून स्वयं तैयार करते थे और राजा भी उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करता था हालांकि ये भी सच है कि राजाज्ञा का उल्लंघन श्रेणी भी नहीं करती थी। यह अती स्वायत्त संस्था ऐसा नहीं कि राजकर्मचारियों के निरीक्षण से अछूत थी। इन श्रेणियों का राजाओं के होने तक पर इतना प्रभाव था कि 'श्रेणी मुख्य' (श्रेणी का मुखिया) राजा को बनाने वाले 'राजकर्तारः' अथवा 'राजकृतः राजानः' कहलाते थे। आज की पंचायतें राज्य या केन्द्र के संदर्भ में इस स्टेटस का स्वप्न भी नहीं हैं। स्मृतियां लोक कल्याणकारी कामों को करने वाले एक स्थानीय निकाय 'समूह' का भी वर्णन करती हैं। ये लगभग नगरीय निकाय थे। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है :

सभा प्रजादेव गृहतडागाराम संस्कृति।
तथानाथ दरिद्राणां संस्कारी यजनाकिया।।
कुलायन निरोधश्र कार्यमस्मामि रंशतः।
यत्रैतल्लिखतं सम्यक् धर्म्या सा समयक्रिया।।

'समूह' सामुदायिक विकास के लिए काम करने के लिए बनाया गया वह स्वशासी संगठन था जिसमें समुदाय से चयनित 2, 3 या

5 ऐसे व्यक्ति संचालक होते थे जो 'समूह-हित-वादिनः' और 'कार्यचिन्तकाः' थे। शहरी प्रशासन की जिम्मेदारियों का निबाह एक समझौते के तहत किया जाना होता था। इस अनुबंध का जानबूझकर अधिलंघन या जिम्मेदारी न निबाहने वाले निकाय प्रशासक संपत्ति हरण से लेकर देश निष्कासन जैसे दंड के भागी होते थे। संगठन में तोड़-फोड़ करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। 'श्रेणी' से छोटा एक और स्वशासी संगठन था जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा भाष्य ने कभी तो समान व्यवसाय में काम करने वाली अनेक जातियों के लोगों का संगठन कहा और कभी ग्राम न्यायालय। ये ग्राम न्यायालय 'पूग' ईसा पूर्व पहली शती तक इसी तरह काम करते रहे थे। महाभारत के शांतिपर्व में 'पंच पंचास्वनुस्थितिः' का उल्लेख संभवतः पंचायतों के बारे में सबसे पुराना उल्लेख है। ग्रीस के पुराने नगर-राज्यों में से कई ऐसे थे जिनके सब वयस्क नागरिक नगर-राज्य की समिति में इकट्ठे होकर अपने राज्य के लिये कायदे-कानून बनाते थे और राजकीय नीति तय करते थे। उदाहरणार्थ एथेन्स की 'एक्लीजिया' ऐसी ही संस्था थी। वैदिक युग की समिति भी इसी तरह की एक संस्था थी जिसमें सम्पूर्ण 'विशः' (या उसके वयस्क नागरिक) इकट्ठे होते थे या मुमकिन है सभी वयस्क नागरिक शामिल न होकर कुछ प्रवर व्यक्ति शामिल होते हों। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया 'जिसके पास औषधियां उसी प्रकार इकट्ठी होती हैं जैसे कि समिति में राजानः, उसी विप्र को मिष्क कहते हैं' जिससे संकेत मिलता है कि समिति में राजानः इकट्ठे होते थे। ये वही 'राजानः' हैं जिन्हें वेद में ही एक दूसरी जगह 'राजानः राजकृतः' बोला गया यानी वे राजन्य जो राजा को बनाते हैं। राजा को बनाने वाली लोक-शक्ति की अवधारणा वैदिक स्वायत्त शासन की एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन ग्रीस, स्पार्टा और यूनान के विपरीत भारत में सिर्फ नगर-राज्य ही नहीं थे, पंचायतें भी थीं। एक तरफ 'समूह' थे या मौर्य साम्राज्य में राजदूत मेगस्थनीज द्वारा वर्णित नगरीय शासन था, एक तरफ आधुनिक व्यवसाय-विशिष्ट सोसायटी की तरह ही 'श्रेणियां' थीं तो वहीं सभा, ग्रामसभा, पूग के रूप में ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएं थीं। कुल, गण, जातिपूजा, व्रत, श्रेणी, श्रृंखला, नैगणा, समूह, संभूय-समुत्थान, परिषद, कारणा ये सब स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थीं। बुद्ध के समय सभा (वयस्क पुरुषों का मिलन स्थल) संथागार (प्रतिनिधि) सभा में बदल गई थीं। दामोदर धर्मानंद कौसांबी ने इस बात पर दुःख प्रकट किया है कि इन संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया गया। वे लिखते हैं कि ईसा पूर्व

पांचवीं सदी के कबीलों (लिच्छिवियों, मल्लों और पंजाब के आर्यों ने) अपनी आजादी की रक्षा उतनी ही दृढ़ता से की थी जितनी दृढ़ता से यूनान के नगर-राज्यों ने की थी और इस दिशा में उनका संघर्ष मकदूनिया के खिलाफ अथेन्स के संघर्ष से कहीं अधिक तीव्र था परन्तु किसी ब्राम्हण अरस्तू ने इनके संविधानों का अध्ययन नहीं किया। अथेन्स की सार्वजनिक सभाओं की तरह इनकी सभा-परिषदें भी (जैसा कि परंपरा से ज्ञात होता है) वाद विवाद और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थीं परन्तु कोई भी इतिहासकार हमें जानकारी नहीं देता कि इन स्वतंत्र समुदायों की कौन कौन सी संस्थाएं थीं और वे किस प्रकार नष्ट हुई। मालवों, आर्जुनायनों, योधेयों, भाद्रकों, आभीरों, प्रार्जुनो, खर्परिकों, काकों आदि के गणतांत्रिक शासन ग्रामीण सभाओं की सशक्त उपस्थिति से लाभान्वित हुए, यह तय है।

गुप्त साम्राज्य के दौरान भी ग्राम की सम्पूर्ण अन्नोत्पादक जमीन सामुदायिक थी। ग्राम-सभा के फैसले के मुताबिक प्रत्येक रहवासी परिवार अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार भूखंड पा लेता था। चूंकि अधिकतर रहवासी एक या दो सजातीय समूह के होते थे, इसलिए समूह की मेंबरशिप और कृषकाधिकार साथ साथ चले। बिरादरी से निकाल बाहर करने का मतलब जाति से निष्कासन ही नहीं था, उस गांव में खेती का हक खो देना भी था - इसे निर्वासन कहते थे जो दोषी सदस्यों को ग्रामसभा की ओर से दी जाने वाली सबसे कठोर सजा थी। राजा का हस्तक्षेप भी कम था। कौसांबी उल्लेख करते हैं कि 'ताम्रशासनों' में विशेष अधिकार के रूप में खासतौर से उल्लेख है : राजा के किसी अधिकारी का गांव में प्रवेश करना तो दूर रहा, वह उसकी ओर उँगली तक नहीं उठाएगा।

यह ऐतिहासिक विवरण सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वायत्तता ऊपर से किया जाने वाला प्रत्यायोजन नहीं थी बल्कि वह समाज की संरचना मात्र में उपस्थित थी। कई लोगों ने गांवों में ग्रामणी, समख्यक (लेखापाल), प्रदेष्टा, कूपाध्यक्ष, स्थानिक आदि की उपस्थिति को लेकर प्राचीन भारतीय स्वशासन की वस्तुस्थिति को प्रश्नचिन्हित किया है लेकिन अल्टेकर ने सही ही लिखा 'जातक हमें बताते हैं कि न तो ग्राम प्रमुख ने, न ग्राम अंकेक्षक ने ग्राम पर स्वेच्छाचारी शासन किया। वे सब ग्राम की जनता के द्वारा अपने प्रशासन में निदेशित होते थे। यह जनता ग्राम वृद्धों में अनुभूत होती है जो बहुत शुरुआती समय से ही एक अनौपचारिक प्रकार की परिषद रहे। हम देख चुके हैं कि किस तरह से ग्राम सभा एक सामाजिक क्लब भी थी और एक ग्राम परिषद भी। इसकी बैठकों में सदस्य सामाजिक विषयों पर विचार करते थे, इन्डोर गेम खेलते थे, और ग्राम सरकार का कार्य व्यापार भी संपादित करते थे। जातक हमें बताते हैं कि गांव अपना कार्य व्यापार स्वयं करते थे। आल्तेकर ने गुप्त काल के आरंभ से लेकर ब्रिटिश शासन के आरंभ तक के 1500 वर्षों को ग्राम स्वराज का सर्वश्रेष्ठ समय मानते हुए बताया कि गुप्त काल में मध्य भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद का उल्लेख आता है।'

बहुत बाद में पाकिस्तान ने ग्रामणी की अवधारणा का इस्तेमाल 1000 की आबादी पर गांव से एक एक 'बुनियादी जनतांत्रिक' (बेसिक डेमोक्रेट) चुनकर किया। लेकिन इन ग्रामीण प्रशासकों की उपस्थिति जहां यह स्थापित करती थी कि कभी कभी राज्य पूर्णतः आंखें मूंद नहीं रह सकता वहीं दूसरी ओर ये लोकसत्ता का अपहरण करने में समर्थ अधिकारी नहीं थे। आज यह सब अतीतोल्लेख क्या सिर्फ एक रोमांटिक नारटेल्जिया है? क्या आज पूर्व का सामूहिकतावाद विश्व भर में असफल हो रहा है? क्या इजराईल के किबुत्ज चल सके हैं? क्या रूस, वियतनाम और चीन ने सामूहिकीकरण (Collectivization) को पलटने की बाध्यता महसूस नहीं की है? क्या उत्तरी कोरिया और इथियोपिया ने सामूहिक कृषि बनाए रखने में भयंकर परेशानियों का सामना नहीं किया है? क्या न्येरेरे के तंजानिया में 'उजामा' सफल हो सके? क्या राबर्ट चैंबर्स ने इस तरह के कृत्रिम ग्रामीकरण (Villagisation) को एक ऐसी चीज नहीं कहा जिसे जनता चाहती ही नहीं? तंजानिया के तीन 'उजामा गांवों' - कबुमा, म्बांब्रा और अपर किट्टे - के आधार पर या गुजरात की मोहिनी जल सहकारिता समिति के आधार पर क्या सामूहिकता की सफलता के बारे में व्यापक सामान्यीकरण किए जा सकते हैं? क्या राज्य एक तरफ बाजार की ताकतों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु संरचनात्मक समायोजन (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट) भी करता रह सकता है और दूसरी तरफ ग्रामराज के लिए पंचायतों के ताने बाने भी बुनता रह सकता है? क्या इन दोनों में कोई प्रकृत अंतर्विरोध नहीं है? क्या पंचायतों को आधुनिक किस्म की कारपोरेट कल्चर से परिष्कृत किया जा सकता है? क्या यह 'संस्कारित' करना होगा या पंचायतों का अपसंस्कृतीकरण होगा? बाजार 'गण' का तो नाश करता ही है। महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म ने कहा ही है :

कुलेषु कलहा जाताः कुलवृद्धै रूपेक्षिताः।
गोत्रस्य नाशं कुर्वन्ति गणभेदस्य कार्यक्रम।।

तो बाजारोन्मुखी उदारवाद क्या पंचायतों का भीतरघात नहीं करेगा? चेरू ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर क्या यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि उन देशों में जो खाद्य के मामले में स्वावलंबी नहीं हैं, निर्यात बाजारों की सेवा में कीमती कृषि संसाधनों को रखकर क्या सीमान्त भूमियों का अतिशोषण करने के लिए स्थानीय जनता पर भारी दबाव निर्मित नहीं किया जा रहा? बाजार का तर्क अब सामुदायिक संपदाओं के उपयोग और रख-रखाव पर भी लागू किया जा रहा है जो अन्ततः उन्हें नंगा कर देगा। बंजर भूमि विकास सामुदायिक संपदाओं के निजीकरण का ही कोई शुभनाम है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इतिहास की नदी में तैरते हुए कभी कभी इस दौर के तटों पर आ पहुंचते हैं। क्या आप उनके प्रति तटस्थ बने रह सकते हैं? क्या आपका तटस्थ बना रहना आपका डूबना न होगा?

• मुक्ति श्रीवास्तव

वनवासी संवर्धन उपयोजना

पृष्ठभूमि - प्रदेश के सुदूर वन अंचलों में निवास करने वाले ग्रामीण परिवार जिनकी जीविकोपार्जन का साधन वनोपज ही है तथा वनक्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास की सीमित संभावनाओं के कारण ये ग्रामीणजन विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। इनकी भूमि को उपजाऊ बनाए जाने के लिए भूमि विकास के कार्य कराए जाकर इन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ इनकी स्थायी आजीविका कृषि उपज आधारित किए जाने की महती आवश्यकता है। इन परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किया जाकर इनके जीवन स्तर का उन्नयन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत खेती करने के लिए वन अंचलों में रहने वाले इन परिवारों को भूमि की जुताई करने के लिए हक प्रमाण पत्र जारी किए गए। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं में कपिलधारा, नंदनफलोद्यान, भूमिशिल्प आदि का लाभ हक प्रमाण पत्र धारकों को दिए जाने के लिए 9 फरवरी 2011 में जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत में सभी हक प्रमाण पत्र धारकों की भूमि के समग्र रूप से प्राथमिकता के आधार पर निश्चित समय सीमा में विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रम मूलक कार्य कराए जाने के लिए 'वनवासी संवर्धन' उपयोजना के नाम से कार्य संपादित किये जाने का प्रावधान है।

उपयोजना का उद्देश्य - सुदूर ग्रामीण वनक्षेत्रों में रहने वाले इन जॉबकार्डधारी परिवारों को इनकी रोजगार की मांग अनुसार

रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वनवासी संवर्धन उपयोजना तैयार की गई है। उपयोजना की आयोजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

कार्यक्षेत्र - प्रदेश के 50 जिलों में से (भिण्ड तथा उज्जैन को छोड़कर) 48 जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 का क्रियान्वयन के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वन मंडलाधिकारी एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय में गठित समिति द्वारा हक प्रमाण-पत्र वितरित किये गये हैं, उपयोजना क्रियान्वयन का कार्यक्षेत्र है।

कार्य का स्वरूप - प्रत्येक जिले में चिन्हित किये गये प्रमाण-पत्र धारकों की भूमि के संरचनात्मक विकास के लिये समग्र रूप से परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना के तहत आवश्यकतानुसार निम्न कार्य शामिल हैं।

- कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत कूप निर्माण, खेत तालाब या लघु तालाब।
- भूमि समतलीकरण।
- पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को सीढ़ीनुमा (stepping) विकसित कर उपजाऊ बनाना।
- भूमिशिल्प के तहत मेढ़ बंधान।
- नाडेप पिट निर्माण।
- नंदन फलोद्यान के अंतर्गत फलदार पौध रोपण।

इन कार्यों के प्रतिवेदन एक बार में ही तैयार किये जाकर परियोजना के अंश के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं। समग्र समन्वय से कार्य संपन्न कराये जाकर परियोजना पूर्ण की जाती है। प्रत्येक परियोजना में स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों को संलग्न डिजाइन अनुसार पक्का सूचना फलक निर्मित कराया जाकर प्रदर्शित किया जाता है।

क्रियान्वन - उपयोजना का क्रियान्वयन जिला पंचायतों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा :-

- परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत द्वारा हक प्रमाण-पत्र धारकों की जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार सूची जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त जानकारी को संबंधित जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है।
- संबंधित सेक्टर के उपयंत्री तथा पंचायत समन्वयक द्वारा स्थल सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार लिये जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन किया जाता है। इस कार्य में सहयोग के लिये वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के फील्ड स्तर पर पदस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी और क्षेत्र के पटवारी की आवश्यकता होने पर अनुविभागीय अधिकारी से इन्हें निर्देश दिलाये जाने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होता है।
- ग्राम पंचायतवार परियोजना तैयार कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये जाने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तदुपरांत ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में यह कार्य शामिल किया जाता है।
- परियोजना में शामिल कार्यों की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः इस उपयोजना के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर शासकीय विभागों के माध्यम से ही महात्मा गांधी नरेगा के नियमों के तहत संपन्न करा सकेंगे।
- इस उपयोजना का सहायक यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के समग्र तकनीकी नियंत्रण में निर्माण कार्यों के प्राक्कलन मनरेगा कार्य हेतु लागू महिला दर अनुसूची के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा मनरेगा अंतर्गत पदस्थ तकनीकी अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।
- कार्य का क्रियान्वयन - मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप मस्टर रोल पद्धति से जॉबकार्डधारी परिवारों से कार्य कराये जाते हैं।

वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारण

(i) प्रशासकीय स्वीकृति अनुरूप राशि की व्यवस्था महात्मा गांधी नरेगा योजना से की जाती है।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम एवं दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था है।

मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान

(i) कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जाता है।

(ii) कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय-सीमा में बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जाता है।

(iii) मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टररोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि की जाती है।

कार्य पूर्णता अवधि - उपयोजना के तहत जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं की अवधि प्रशासकीय स्वीकृति जारी दिनांक से सामान्यतः एक वर्ष रहेगी।

अनिवार्य शर्तें - उपयोजनांतर्गत मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों की शर्तें

(i) ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित।

(ii) मानव श्रम के बदले मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 संधारित करना अनिवार्य।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य।

(v) जॉबकार्डधारियों का मजदूरी भुगतान निर्धारित समय-सीमा में उनके बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में खातों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य।

(vi) सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियमों का पालन अनिवार्य।

(vii) प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकॉल अनिवार्य।

(viii) मनरेगा अधिनियम-2005 में वर्णित प्रावधानों का पालन अनिवार्य।

गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग

(i) कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जावे।

(ii) कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

(iii) जनपद स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत एवं राज्य स्तर के अधिकारियों एवं क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता निरीक्षण किया जाता है।

(iv) कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग जनपद, जिला तथा राज्य स्तर पर की जावे।

(v) इस उपयोजना अंतर्गत परियोजना के रूप में लिये जाने वाले कार्य चूंकि मनरेगा के विभिन्न उपयोजनाओं के तहत मानिटरिंग किये जा रहे हैं, अतः संबंधित उपयोजनाओं की मानिटरिंग में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पूर्ववत शामिल रहेगी।

● हेमलता हुरमाड़े

जीवन की प्रचण्ड शक्ति के दर्शन वन की हर वस्तु में होते हैं - वृक्षों के शीर्ष भाग के झूमने में, पक्षियों के कलरव में, धीमे-धीमे प्रकाश में और जब संध्या का आगमन होता है तो वन की किसी सरिता के तट पर अलाव के पास बैठा व्यक्ति पूर्ण नीरवता का पूरा-पूरा आनन्द लेता है। आकाश को एक बार फिर तारे प्राणवान बना देते हैं।

वन और हम

वन इन्सान को सौन्दर्य की कद्र करना सिखाते हैं; प्रकृति की मनोमुग्धकारी सुन्दरता तथा शक्ति वनों में और निखरती है तथा उन्हें विशेष आकर्षक बनाती है। वन प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के बड़े स्रोत हैं। वे विराट प्रयोगशालाएँ हैं, जो ऑक्सीजन पैदा करते और जहरीली गैसों और धूल को बाँधते हैं।

पता नहीं आपने यह चीज कभी सुनी या नहीं सुनी कि बड़े नगरों में एक घनमीटर वायु में विविध प्रकार के करीब 40 हजार बैक्टीरिया (जीवाणु) होते हैं, जबकि वन में एक घनमीटर वायु में वैक्टीरिया 200-300 से ज्यादा नहीं होते। यही नहीं, वहाँ इनकी संख्या इससे भी कम हो सकती है। वहाँ आप जिस हवा में साँस लेते हैं, वह नगरों की हवा की तुलना में दो सौ गुना शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद है।

वन, खेती के लिए संघर्ष में हमारा ज्यादा वफादर साथी है, वह मिट्टी की नमी बराबर रखता है, जलवायु सुधारता है, शुष्क वायु को रोकता है और उसके हरे वृक्ष बढ़ती रेतीली भूमि के खिलाफ बाँध का काम देते हैं। वह नमी, ओस, कुहासे और पाले को संगठित करता है। वनों के दलदल नदियों के स्रोत हुआ करते हैं। और आखिरी चीज यह है कि वनों के अंदर तथा उनके आस-पास भू-जल की सतह वनहीन प्रदेशों से कहीं ज्यादा ऊँची होती है।

जिन स्थानों में वन नष्ट कर दिये जाते हैं, वे प्रचण्ड बाढ़ और वर्षा के शिकार बन सकते हैं। वनों को नष्ट करने से होने वाली तमाम हानियों को गिना पाना असम्भव है।

जीवन की प्रचण्ड शक्ति के दर्शन वन की हर वस्तु में होते हैं - वृक्षों के शीर्ष भाग के झूमने में, पक्षियों के कलरव में, धीमे-धीमे प्रकाश में और जब संध्या का आगमन होता है तो वन की किसी सरिता के तट पर अलाव के पास बैठा व्यक्ति पूर्ण नीरवता का पूरा-पूरा आनन्द लेता है। आकाश को एक बार फिर तारे प्राणवान बना देते हैं। तारों का प्रकाश यहाँ नगरों के धूल भरे गुम्बद की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा होता है।

उन्हें देखते हुए इन्सान सम्पूर्ण विश्व की विशालता अनुभव करने लगता है। वह समझने लगता है कि श्रम के बाद विश्राम का, मानसिक शान्ति का क्या अर्थ होता है। सर्वत्र निशा का एकछत्र शासन स्थापित हो जाता है, उस निशा का जो ताजे सुगन्धों से मन्द प्रकाश, ओसकणों से तथा रात्रि पक्षियों के स्वरों से भरी होती है।

● सुन्दर लाल बहुगुणा

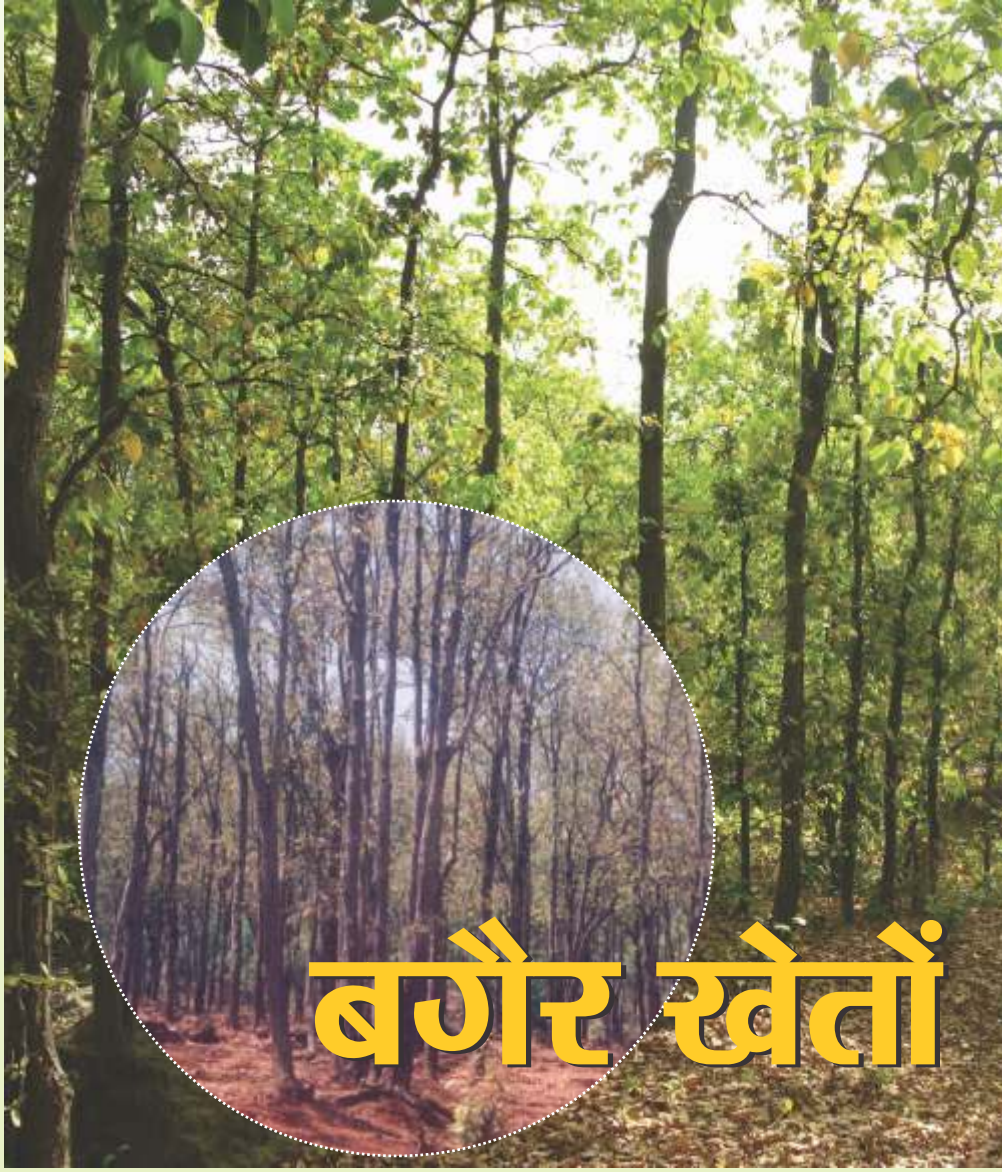

बगैर खेतों

लगभग 1930 में सबसे पहली बार यह विचार पैदा हुआ कि एक बहुत बड़े हद तक दुनिया के बंजर इलाकों में वन लगाने से दुनिया की खाद्य समस्या को हल करने में काफी सहायता मिल सकती है। लेकिन अब यह विचार फैलने लगा और कई जगहों पर लोग प्रयोग कर रहे हैं।

आजकल दुनिया के सामने मुख्य समस्या यह है कि जो आबादी औसत में सत्ताइस साल में दुगनी हो जाती है (कोलम्बिया में बीस साल में, थाईलैंड में पच्चीस साल में) उसके लिए पूरी खुराक कैसे पैदा हो, क्योंकि दुनिया में जितनी कृषि भूमि अब तक आबाद हुई है, उसके क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत संभावना नहीं दिखती है। जापान में सिर्फ 15 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य गिनी जा सकती है। विश्व के सूखे पहाड़ों की या नम दलदलीय पहाड़ों की सारी भूमि कृषि के लिए अयोग्य मानी जाती है। इसमें से बहुत सारी भूमि एक जमाने में वनाच्छादित थी। सदियों से ये वन विभिन्न कारणों से कटते रहे। हाल ही में, कॉफी की व्यापारिक फसल को पैदा करने के लिए ब्राजील में काफी पुराने घने वन कट गये और अब उनमें से बहुत सारी भूमि बंजर हो गयी है। हाल ही में कनेरी टापू के घने चीड़ के वन भी दो भूखों की पूर्ति करने में समाप्त हुए हैं - बकरियों की स्वाभाविक भूख को तथा मनुष्य के आर्थिक लाभ की भूख को। मिश्र की सभ्यता के दिनों में लेबनान के प्रसिद्ध देवदार के पेड़ मंदिर बनाने के लिए तथा परिरक्षित शवों को दफनाने की शवपेटियाँ बनाने के लिए कट गये थे। चीन के पहाड़ों के वन चीनी बर्तन बनाने के उद्योग में और ईंधन के लिए कट गये थे। हाल ही में यांत्रिक कृषि के क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तरी अमेरिका के पुराने घने वन समाप्त हो गये हैं तथा उनके स्थान पर रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ने लगा है।

वैसे तो माना जाता है कि परिस्थितीय संतुलन की दृष्टि से मैदानी इलाकों में कम से कम 30 प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए और पहाड़ी इलाकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर, हालांकि आजकल दुनिया की औसत में हम उस परिस्थिति से काफी दूर हैं, तथापि निम्नलिखित आंकड़े निकाले गये हैं।

नौ खरब टन कार्बन आजकल पौधों में बन्द है। उतना ही ह्यूमस में भी बंद है। जिनमें से 90 प्रतिशत वनों में बन्द है। (यह कार्बन जीवाशेषीय ईंधनों के अब तक ज्ञात सब स्रोतों का सिर्फ 10 प्रतिशत है) मान लें कि आजकल हर साल दुनिया के वनों का 1 प्रतिशत हिस्सा कटता हो और जलाया जाता हो, तो वायुमण्डल से आजकल जीवाशेषीय ईंधनों के उपयोग से पांच अरब टन कार्बन वायुमण्डल में फैलता है। जलाये हुए पेड़ों से इससे कम नहीं फैलता होगा। लेकिन जिन्दा पेड़ कार्बन-डाइ-ऑक्साइड को सोखकर इसके स्थान पर हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर वन लगाये जायें तथा उनका मुख्य उपयोग हमारी तथा पशुओं की खुराक व जमीन की शक्ति को बढ़ाने, वायुमण्डल के शुद्धिकरण और पानी के संरक्षण तथा वर्षा को बढ़ाने के लिए हो। जब खुराक के लिए उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाए तो उसके बाद ही उन्हें काटकर उनका उपयोग ईंधन, उद्योग तथा इमारतों और सामान बनाने के काम में किया जाए- और जैसे-जैसे ये कट जाएं, वैसे-वैसे नये पेड़ लगाए जाएं। मिश्रित वनों में सब पेड़ एक ही आयु के नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रकार करने से वनाच्छादित भूमि कभी पूरी तरह नंगी नहीं रहेगी। ऐसा करने से काफी बंजर स्थानों तथा रेगिस्तानों का सुधार होने के अलावा हमें शहद तथा मनुष्य एवं पशु की खुराक के साथ, बहुमूल्य औषधियां भी मिल सकेंगी- तथा जंगलों के आस-पास कई नये विकेन्द्रित स्वावलम्बी उद्योग चल सकेंगे।

अब पुराने दिनों के अनुभव से ज्ञात होता है कि अन्धाधुन्ध वन काटने से तथा नये वन

की कृषि

नहीं लगाने से कितना नुकसान हुआ। विज्ञान के युग में यह मनुष्य को शोभा नहीं देगा कि वह उन गलतियों को दोहराये। समय रहते एक वैज्ञानिक योजना बनानी चाहिये, यह ख्याल करके कि वन का मुख्य महत्वपूर्ण उपयोग वायुमण्डल तथा मौसम का संरक्षण करके उनमें स्थायित्व को कामय रखना है। इन सबका परिणाम आजकल सारी दुनिया में हम लोग अनियमित वृष्टि में भुगत रहे हैं। मौसम के औसत आंकड़ों से हमें बहुत सही जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि वार्षिक औसत में शायद वर्षा की मात्रा ठीक दिखती हो, लेकिन यदि वह वर्षा अनियमित ढंग से गिर गयी होगी तो वह बहुत हानिकारक हो सकती है - बाढ़ तथा अकाल दोनों का कारण बन सकती है। यह परिणाम आजकल सारी दुनिया में स्पष्ट दिख रहा है। भारत, उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा चीन की बड़ी-बड़ी नदियों के तट पर रहने वाली आबादी अक्सर बाढ़ों से ग्रस्त रहती है। हिमालय के पहाड़ों में हर साल भयंकर भूस्खलन से कई गांव, मनुष्यों तथा पशुओं के साथ, मलवे के ढेर के नीचे दब जाते हैं।

अब दुनिया की ऊर्जा समस्या को हल करने के लिए लोगों की निगाह नाभिकीय ईंधन की ओर गयी है। कृषि में ऊर्जा के खर्च के लिए, खाद कारखानों में ऊर्जा के खर्च के लिए, कृषि औजारों के निर्माण में ऊर्जा के लिए, बड़े उद्योगों में ऊर्जा के खर्च के लिए, खाना बनाने के लिए, प्रकाश के लिए, नाभिकीय ईंधन के द्वारा हल करने के सुझाव ने जोर पकड़ रखा है। लेकिन बीस वर्ष के बाद नाभिकीय संयंत्रों के खण्डहर हजारों वर्ष तक भयंकर जहर फैलाने के अवशेष रहेंगे। ये अवशेष कब तक और कैसे सुरक्षित रखे जाएं, यह पुश्त-दर-पुश्त तक हमारी संतना के लिए एक प्रश्नचिन्ह रहेगा - यदि हमारी संतानें इससे पहले समाप्त नहीं हुई हों तो।

लेकिन वनों का नवनिर्माण करने में, सौर्यशक्ति की बड़ी-बड़ी स्रोत की ऊर्जा को बढ़ाने के साथ ही साथ, बीस वर्ष के अंत में कम खर्च से ज्यादा श्रम देकर हम सारी दुनिया के बंजर इलाकों में ऐसे वनों को पैदा कर सकते हैं जिन पर खर्च कम होने के साथ-साथ बहुत लोगों को सृजनात्मक और संतोष देने वाली मजदूरी मिल सकती है। बीस साल के अन्त में ये वन खण्डहर न रहकर, अपने असली उत्पादन के तीस-चालीस वर्ष की अवधि में प्रवेश कर रहे होंगे।

ये नये वन दुनिया के हर देश में व्याप्त होंगे इसलिए उनकी उपज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात का कोई सवाल नहीं उठेगा। (हाल ही के एक अकाल के दर्मियान अमेरिका के अतिरिक्त अनाज से नब्बे लाख टन गेहूँ का निर्यात भारत को हुआ था। समय, मजदूरी, ईंधन का कितना खर्च उस निर्यात पर हुआ होगा?) आजकल भी कुछ ऐसे देश हैं जहां लकड़ी का उत्पादन कम है और उसका भी निर्यात करना पड़ता है। यह सारी परिस्थिति बदल सकती हैं।

गहराई में जाने वाली पेड़ की जड़ें जमीन से कई बेशकीमती तथा आवश्यक तत्वों को खींचकर, अपनी पत्तियों में उन्हें संचित खाद के द्वारा पूरी मात्रा में उनका नवनिर्माण करने की शक्ति रखती हैं। ये सख्त चट्टानों को तोड़ने की शक्ति भी रखती हैं। इसलिए साधारण खेती के बनिस्बत, वायुमण्डल पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हवा को छानकर, उससे भी सून्यांत्रिक तत्वों को निकालकर उन तत्वों का लाभ उनकी फसलों के द्वारा मनुष्य तथा पशु को भी देती हैं।

अभी तक जहाँ आमदनी की दृष्टि से वन लगाये गये हैं, वहाँ पर मुख्य दृष्टि इमारतों या उद्योगों के लिए लकड़ी का उत्पादन रहा है, लेकिन यदि हम नयी दृष्टि से वन की खेती की दृष्टि से सोचेंगे, तो हमारा मुख्य लक्ष्य इमारती या व्यापारी लकड़ी का नहीं, खुराक का होना चाहिये। अर्थात् पत्तियों और बीज से इन्सान तथा पशुओं की पौष्टिक खुराक तथा जमीन के लिए खुराक होनी चाहिये।

जिन पेड़ों की लम्बी जड़ें गहराई तक अच्छी मिट्टी की मांग करती हैं, पहाड़ के जंगलों में उन्हें मिट्टी को सुरक्षित रखने वाले घेरे shelter belt की दृष्टि से लगाना चाहिये। पेड़ों की प्रजातियों को भी सावधानी से छांटना चाहिये। जिन पेड़ों का फल कोमल और रस भरा हो, वह सूखे पहाड़ों पर कहां से अपना रस खींच सकता है? ऐसे पेड़ों को नदी घाटियों की जमीन में लगाना चाहिये। सूखे पहाड़ों पर सख्त फल वाली जातियों को लगाना चाहिये, मसलन अखरोट, पांगर, जेतून, बादाम इत्यादि।

पेड़ लगाने में श्रद्धा निहित है। उस दृष्टि से पेड़ की देख-रेख इस रूप से करने में कि इस अभावग्रस्त दुनिया में हम सबको लाभ कुछ वर्ष के बाद ही मिलेगा, यह एक कसौटी है। अल्पकाल के अल्प लाभ को दीर्घकाल के महान लाभ के लिए त्यागने की भावना सबमें पैदा करना आसान नहीं है। इसके साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। खेत की फसल को बोने में यदि हमने गलत चुनाव किया हो, तो अगले साल में हम उस गलती को सुधार सकेंगे। लेकिन वन लगाने में यदि हमने गलती की हो, तो वह गलती वर्षों बाद ही प्रकट होगी।

• सरला देवी

वन्यजीव और पर्यावरण

वन्यजीवों का पर्यावरण से जीवन का नाता है। यदि पर्यावरण (वन) नहीं तो वन्यजीवों का जीवन नहीं। यही कारण है कि पर्यावरण को वन्यजीवों का पूरक माना जाता है। इन दोनों का संबंध युगांतरों से है। वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वनों का होना आवश्यक है। यही वन इन जीवों के लिए आसरा भी होते हैं और भोजन भी।

वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासकीय स्तर पर बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि इन जीवों को संरक्षित किया जा सके। यहां एक पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। वह है पर्यावरण का दोहन। पर्यावरण के विनाश से जहां वन्यजीवों पर संकट उत्पन्न हुआ है वहीं प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ा है।

वनों की कटाई से जंगलों का क्षेत्रफल कम हो रहा है। इन जंगलों में रहने वाले जीवों की संख्या भी कम हो रही है। जिसका ही नतीजा है कि देखने सुनने में आता है कि जंगलों से बाहर निकल वन्यजीव गाँवों में घुस रहे हैं। लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन समस्याओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम वन्यजीव संरक्षण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं।

बाघ, सिंह, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, भालू, जंगली सुअर, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, गौर, चौसिंघा, चीतल, बारहसिंघा, संभार, भेड़की, लंगूर, लालमुँह का बंदर, मगर, घड़ियाल, कछुआ सहित अनेक वन्यजीव वनों की कटाई से अपने अस्तित्व से लड़ रहे हैं। इन पर संकट है। दिनों दिन इनकी संख्याओं में कमी हो रही है। हमें वन्यजीव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना है।

भारत अपनी विशिष्ट, मनोहर और विविध पारिस्थितिकी प्रणाली के कारण वन्यजीवों से भरा-पड़ा है। वन्यजीव के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्राणी, जलीय या भू-वनस्पति आती है जो किसी तरह के प्राकृतिक वास के रूप में होती है। भारत दुनिया के बाहर मैगा जैव-विवधता संपन्न देशों में से है। देश का वन्यजीव पूर्वोत्तर भारत के सदाबहार वनों से लेकर राजस्थान के ऊसर मरुस्थल तक और हिमालय के हरे-भरे जंगलों से लेकर पश्चिमी घाटों तक फैला हुआ है। देश में स्तनपायी की 350, पक्षियों की 1224, रेंगने वाले जन्तुओं की 408, उभयचरों की 197, मछलियों की 2546, कीटों की 57548 और पौधों की 46286 प्रजातियाँ हैं जो कि विश्व की जीव-विविधता का 8 प्रतिशत है। भारत में कुल भू-क्षेत्र का 23.57 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। देश में 606 संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें 96 राष्ट्रीय उद्यान और 510 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। साथ ही इनमें 30 बाघ आरक्षित और 26 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.58 प्रतिशत देश के कुल वन क्षेत्र का 22.12 प्रतिशत है। इसके अलावा देश में 150 मान्यता प्राप्त बड़े मझौले और लघु चिड़ियाघर और प्राणी उद्यान हैं जिनमें करीब 40,000 प्राणी रखे जाते हैं। वन्यजीव के लिए कई कारणों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। इनमें से प्रमुख हैं उनकी शरणस्थली का नष्ट होना, शिकार, दुर्घटनाएं तथा वन्यजीवों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। देश में वन्यजीवों की स्थिरता के लिए इन सब कारकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हल करना बहुत आवश्यक है। देश में प्रकृति के संरक्षण और वन्यजीव के मूल्यों तथा लाभों के क्षेत्र में जानकारी का सामान्यतः अभाव है।

जबकि वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। केन्द्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का काम करता है तथा राज्य वन विभागों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें। वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई और जबलपुर पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर किया गया है। यह मंत्रालय विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए, हाथियों संबंधी परियोजनाओं के लिए योजना, वन्यजीव प्रभाग को सशक्त बनाने संबंधी केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सहायता अनुदान देना शामिल है।

- भारत में रक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) नेटवर्क में वन राष्ट्रीय पार्क तथा 513 वन्यजीव अभ्यारण्य, 41 संरक्षण रिजर्व्स तथा चार सामुदायिक रिजर्व्स शामिल हैं। हमारे रक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्य को अनुभव करते हुए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है।
- इस मंत्रालय ने देश भर में एक विशेषज्ञ दल द्वारा राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वन्यजीव प्रबंधन के लिए देश भर में संरक्षण दायित्वों तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क कितने कारगर प्रयास करता है। इस प्रयोजनार्थ पाँच क्षेत्रीय विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया जाता है। प्रथम चरण के दौरान 30 रक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन कराया गया।
- भारत सरकार ने राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर गिद्ध (वल्चर) संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है जो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। सरकार ने हरियाणा में पिंजोर, पश्चिम बंगाल में बक्सा तथा असम में रानी वन में और भोपाल, भुवनेश्वर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद में चार चिड़याघरों में पालन-पोषण केन्द्रों के स्थापित किया है। ये केन्द्र कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का संशोधन 2008 में किया गया था। इस ब्यूरो के अधिकार और दूसरे कार्यों को इस अधिनियम की धारा 38 में परिभाषित किया गया है। इस ब्यूरो के गठन से चार क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एक साथ समेकित कर दिया गया है। इसका एक नया क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में भी गठित किया गया है।

संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम

सरकार ने देश में जंगली जानवरों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं।

- जंगली जानवरों के शिकार और व्यावसायिक रूप से उनके उपयोग के रूप में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे ज्यादा कठोर बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा सख्त की गई है। इस अधिनियम के तहत वन्य जीव संबंधी अपराधों में इस्तेमाल हुए किसी भी तहत के उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का प्रावधान है।
- वन्य जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत देश भर में सुरक्षित इलाके यानी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व बनाए गए हैं।
- वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और उनके पर्यावास में सुधार लाने के लिए समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास, प्रोजेक्ट टाइगर, और प्राजेक्ट इलिफेंट की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अपराधियों को हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।
- राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास गश्त बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
- जानवरों का अवैध शिकार करने और उनके तथा उनसे बनी चीजों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए कानून को मजबूत बनाने हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।
- वन और वन्यजीव के राज्य विभागों के अधिकारियों द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जाती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य सरकारों को संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए पुनर्रुत्थान कार्यक्रमों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।

● नवीन शर्मा

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के पुनर्वास वन्यप्राणी रहवास विकास के लिये दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, आवागमन, वाहन, रेस्क्यू, स्क्वैड एवं इको विकास से वन्यजीवों का स्वछंद विचरण सुनिश्चित किया गया है। वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन से प्राप्त आय से आम जनता की प्रकृति में बढ़ती हुई रुचि परिलक्षित होती है।

वैभव का

मध्यप्रदेश विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत का हृदय प्रदेश है। प्रदेश की स्थिति देश के रक्त संचार तंत्र का उत्तरदायित्व वहन करती है। यही कारण है कि यहाँ की वैभवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं प्राकृतिक धरोहर से परिपूर्ण धरती नैसर्गिक सौंदर्य से अलंकृत है। अनन्य विहंगम दृश्यों में उतरती चढ़ती प्रदेश की गौरवमयी प्रकृति की जैसे किसी अज्ञात चित्रकार ने किसी तड़ित तूलिका से रचना की हो। प्रदेश के भू-गर्भ से जन्मी अनेकों छोटी-बड़ी नदियों और झरनों से खेलती और उन्हें रोकती निरंतर पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे प्रकृति की माला में मोतियाँ पिरो रही हैं। ऐसे वातावरण में वनों की सेवाभावना स्वयं में एक अनुभूति है। प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत कुछ 25,000 व्यक्तियों की यह कर्मभूमि जीवन की प्रफुल्लमय अभिव्यक्ति है।

मध्यप्रदेश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल का प्रदेश है। इसके प्रथम जन्म दिवस, 1 नवम्बर, 1956 से लेकर 1 नवम्बर, 2000 में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजन की यात्रा राष्ट्र की स्वतंत्रता के उपरांत निर्माण से लेकर आर्थिक नीतियों की क्रांति का इतिहास है। धनाढ्य प्राकृतिक संसाधन जैसे अमूल्य विस्तारहीन वन, भू-गर्भ में छिपे कोयला और बहुमूल्य रत्न, नदियों और पर्वतों के जलागम को 150 वर्षों से ही एक सुरुचिपूर्ण वैज्ञानिक प्रबंधन में गढ़ी गई रूपरेखा का गहन वन प्रबंध में संविलयन किया गया। अविभाजित वृहद प्रदेश के 22 वन वृत्त और 82 वन मण्डल के अतिरिक्त 11 राष्ट्रीय उद्यान और 33 अभ्यारण्य में विस्तारित संरक्षित क्षेत्र में उन्मुक्त विचरण करते हुए खग-मृग की क्रीड़ाएँ प्रकृति की अनमोल रंगभूमि प्रस्तुत करते थे। यह वन निधि देश के वन क्षेत्र का 20 प्रतिशत भाग था। इसे प्रशासनिक इकाईयों, तकनीकी साधनों, अनुशासित अमले और अभिजात नीतियों से संगठित करते हुए आज एक ऐसी संस्था का उत्थान हुआ है जिसके रोम-रोम में उल्लास, स्वाभिमान और कर्मठता प्रतिबिंबित होती है। वन विभाग में वन विकास निगम और लघुवनोपज संघ ने वन प्रबंधन के नये कीर्तिमान स्थापित किये। जबलपुर के वन अनुसंधान संस्थान में वानिकी समस्याओं पर शोध किया जा रहा है।

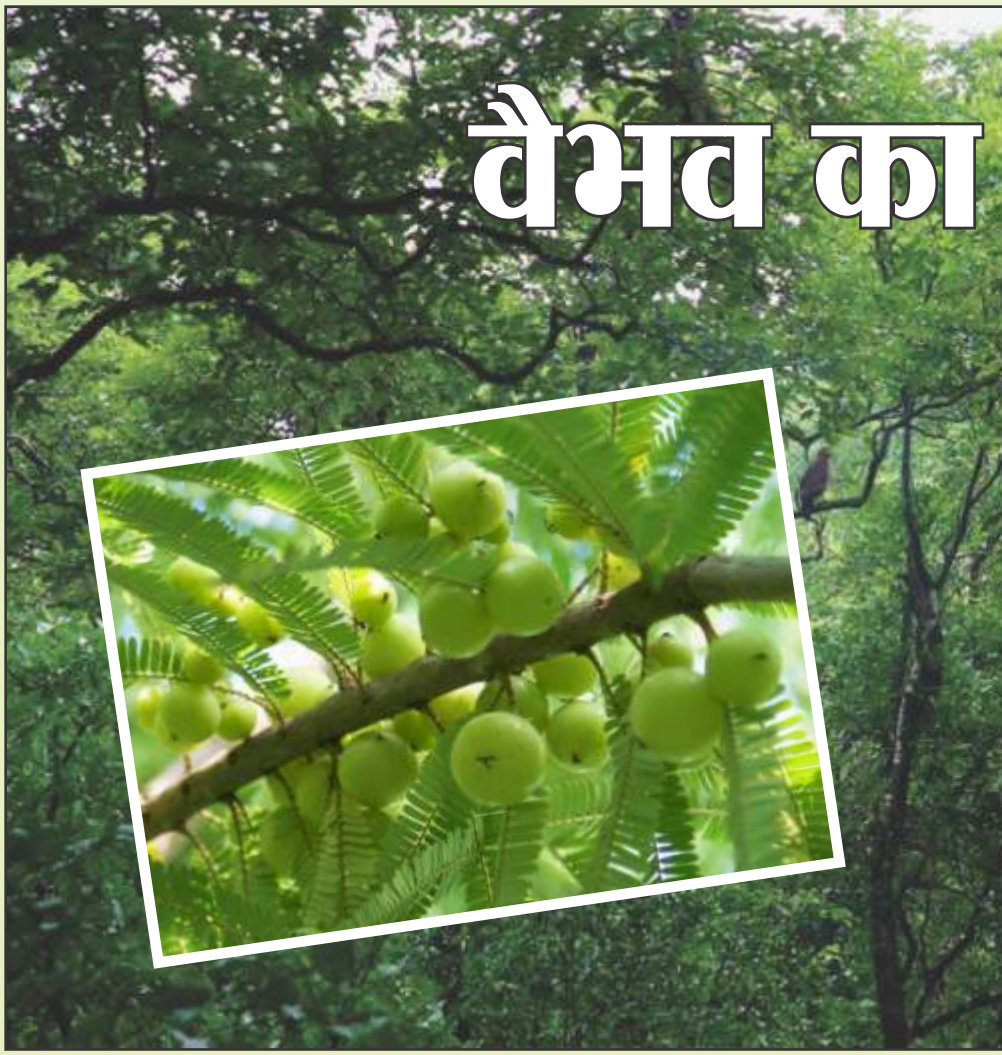

विभाजित मध्यप्रदेश के 16 वन वृत्त, 63 वन मण्डल, 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य आज भी देश के सर्वाधिक 12 प्रतिशत वनक्षेत्र हैं। वानिकी के विकास में वन को अत्यंत संवेदनशील योजनाओं से निखारा गया है। नदियों के प्रवाह को बांधते-रोकते और पर्वतों को ढंकते हुए पंडित भवानी शंकर मिश्र की पंक्तियों में नींद में सोये हुए से ये बड़े अनमने जंगल कार्य आयोजना की महत्वपूर्ण श्रृंखला में 150 वर्ष पूर्व से प्रबंधित किये जा रहे हैं। वानिकी इतिहास में वर्ष 1996 में गोदावर्मन की जनहित याचिका ने जब देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वन प्रबंधन को भू-खलन सा झटका दिया था, तब भी मध्यप्रदेश में वानिकी प्रबंध का परिपालन कार्य आयोजना के अनुरूप अक्षरशः किया जा रहा था। समय के साथ आय के संसाधनों के अभाव में बढ़ती आबादी चढ़ते सूर्य की धूप सी वनों का घनत्व ढलती सांझ के प्रकाश सा क्षीण कर गयी। समय की यह असंतुलित मार भी वन विभाग की क्षमता, जुझारू कर्मठता और सामाजिक उत्तरदायित्व की तीव्रता को कम नहीं कर सकी। लगातार सूखे वर्ष, बढ़ती पशु एवं जनसंख्या का प्रकोप और जलवायु की उदासीनता के विपरीत प्रभाव में भी विभाग की कार्य प्रणाली तकनीक क्षीण नहीं हो सकी। वन विकास की प्रगतिशील नीतियों ने ऐसी योजनाओं का सूत्रपात किया जिनसे डरे हुए जंगल सर्वदा धरती पर पैर जमाने का प्रयास करते।

परिदृश्य

प्रदेश में वानिकी विकास योजनाओं को परिस्थितिकीय तंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है।

इन योजनाओं में वनक्षेत्र में पुनर्रुत्पादन, वृक्षारोपण, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के लक्ष्यों के अंतर्गत कार्य संपादित किये जा रहे हैं। प्रतिवर्ष कार्य आयोजना के 3.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार व विगत 3 वर्षों से 20 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र में रोपण लिया जा रहा है। वनक्षेत्र के अतिरिक्त गैर वन क्षेत्र और सड़क किनारे वृक्षवीथिका भी विकसित किये जा रहे हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिये बांस, सबई, केतकी, आँवला, साजा, अर्जुन, महुआ और अन्य वनों के लिये लाभदायक प्रजातियों का व्यापक रोपण हुआ है। यहाँ 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में रोपणी में विकसित लोकप्रिय प्रजातियों के पौधे वन और वनेत्तर क्षेत्रों में रोपित किये गये। प्रदेश में वर्तमान में 7-8 करोड़ से अधिक पौधे वन विभाग, राज्य लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम, निजी व पंचायत द्वारा रोपित, वितरित व विक्रय किये गये हैं। जलवायु परिवर्तन की मंद आहट जब बुंदेलखण्ड में प्रवेश करने लगी, तभी इस भूमि को नम और वनावरित करने के लिये इस क्षेत्र में विशाल योजना का पदार्पण हुआ।

काष्ठ, बाघ और अन्य बहुमूल्य प्रजातियों का संरक्षण विभाग की चुनौती है, जिसे स्वीकार करते हुए विगत 20 वर्षों से विभाग में पैट्रोलिंग सुविधाएँ, सूचना और प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार का व्यापक उपयोग करते हुए वन सम्पदा की सुरक्षा की गयी है। विषम चुनौतियों से द्वंद्व करते हुए वनों के सतत वन प्रबंधन से प्रदेश को वार्षिक रुपये 900 करोड़ से अधिक की आय हो रही है। प्रचुर जैव विविधता से संपन्न अपार लघुवनोपज संपत्ति प्रदेश के सिगनेचर ट्यून रही है। तेंदूपत्ते के राष्ट्रीयकृत युक्तियुक्त संग्रहण से प्रदेश को आय के अतिरिक्त संग्राहक समितियों को पुनर्रुत्पादन, संग्रहण व प्रसंस्करण से रोजगार, बीमा, आर्थिक विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य लाभकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व लाभ प्रदाय किया गया।

वन्य प्राणी प्रबंधन में गौर एवं बाघ जैसी प्रमुख प्रजातियों को सफलतापूर्वक नवीन रहवासों में पहुँचाया गया है जहाँ इनका सफल प्रजनन एक अथक प्रयास के सुखद परिणाम का द्योतक है। वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के पुनर्वास वन्य प्राणी रहवास विकास के लिये दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, आवागमन, वाहन, रेस्क्यू, स्क्वैड एवं इकोविकास से वन्यजीवों का स्वच्छंद विचरण सुनिश्चित किया गया है।

सुदूर वन क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों से प्रदेश के वानिकी प्रक्षेत्र में दूर संचार का अद्वितीय विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से वेब बेस्ड विनियोग द्वारा वन्यप्राणी विचरण, अग्नि सुरक्षा, वानिकी कार्यों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सरल किया गया है। मानव संसाधन विकास में 9 वन विद्यालयों में नवीन भर्ती के व्यवसायिक प्रशिक्षण और सेवारत कर्मचारियों

और अधिकारियों के सतत प्रशिक्षण से कार्यक्षमता में वृद्धि और कार्य के प्रति दृष्टिकोण विकसित हुआ। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम से तंत्र के रक्त संचार में गति के सकारात्मक परिणाम से कर्मचारियों और अधिकारियों के पारस्परिक संवाद और संबंध सुधरे। प्रशासनिक पारदर्शिता से विभाग में सुशासन विकसित हुआ।

धनाढ्य जैव विविधता के गर्भ गृह मध्यप्रदेश में वर्ष 2002 में देश के प्रथम राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कर अमूल्य वन निधि को व्यवस्थित, वर्गीकृत और प्रदेशवासियों के भविष्य के लिये लाभदायक व संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने में यह कदम उल्लेखनीय सिद्ध हुआ है। वनक्षेत्र के आधिक्य से प्रदेश में रोजगार के अभाव में प्रदेश के विस्तृत नैसर्गिक सौंदर्य के नियोजन व विपणन में स्थानीय समुदायों को आय उपलब्ध कराने के लिये देश के प्रथम इकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रदेश के 50 भव्य प्रकृति के दर्शनीय स्थलों का विकास कर पर्यटकों के लिये मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करायी गयी हैं। प्रदेश के सतत वन प्रबंधन के लिये भविष्य की परिकल्पना में वनों के समीप स्थित ग्रामों को अति आवश्यक वनोत्पाद के लिये स्वावलंबी बनाना है ताकि वनों पर दबाव कम किया जा सके। वनक्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत मूल से वृहद वृक्षारोपण करते हुए राज्य को राजस्व देते हुए वनोत्पाद उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों की काष्ठ व बाँस आपूर्ति के लिये ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यापक रोपण को लेकर ग्रामीणों की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए वन संरक्षण का दीर्घकालीन सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र में संपूर्ण वन प्रबंधन ऑनलाइन व्यवस्थित किया जाकर जटिल कार्यों को सरल बनाया जा रहा है।

● डॉ. गोपा पाण्डेय

वनों के प्रति

सर्वद्रुमः कल्पद्रुमः

धरती हमारी माँ है। जल जीवनदाता है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मिट्टी और जल की रक्षा तथा वायु का शोधन करते हैं वन। हमारे पूर्वजों, और संस्कृति पुरुषों को इस वन-सत्य का सम्यक ज्ञान था। हमारी संस्कृति ऋषियों-महर्षियों के आश्रमों में पलने पनपने के कारण अरण्य संस्कृति कही जाती है। चूंकि वन-सत्य हमारे जन-जीवन में रच-बस गया था अतः हमारे विचारकों और चिंतकों ने उसे वृक्षपूजा या वनमहात्म्य के रूप में स्वीकार किया।

सभ्यता के तीनों चरणों आखेटक, कृषि कर्म और उद्योग में हम वनों पर निर्भर करते थे। आखेटक चरण में मानव वनों को अपना पर्यावरण उसी भांति मानता था जिस तरह वर्तमान में आदिवासी वनवासी मानता है। कृषक चरण में भूमि और जल के संरक्षक के नाते भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा कृषि को स्वयं पोषित बनाये रखने के प्रसंग में वनों का महत्व सर्वविदित था। उद्योग चरण में उद्योगों के अधिकांश कच्चे माल की पूर्ति वन-वनस्पतियों से होना सर्वमान्य है। वैदिक भारत में देवदारू कुंज़ो में हिमालयी शंकुवनों की गोद में स्थित ऋषि आश्रमों से जब सर्वद्रुमः कल्पद्रुमः की ध्वनियां अगरू की सुगंधों के साथ गूंजीं तो वह हमारी वनश्री की सार्वकालिक उपयोगिता की समय सिद्ध स्वीकृति होती थी। कल्पवृक्ष हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये रेखांकित है। वन भी सभ्यता के प्रत्येक चरण में हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिये शास्त्र ने प्रत्येक वृक्ष को कल्पवृक्ष कहा क्योंकि हर वृक्ष, वनस्पति, बेल, झाड़ी, घास आदि की कुछ न कुछ उपयोगिता तो है।

श्रीमद्‌भागवत के दसवें स्कंध में, बाईसवें अध्याय के अंतर्गत, श्लोक क्र. 29 से 35 तक भगवान कृष्ण द्वारा उस समय वृक्षों के महत्व का वर्णन किया गया जब वे एक दिन अपने भ्राता बलराम और ग्वाल-बालों के साथ गायों को चराते-चराते वृंदावन से दूर चले गये। इनमें से एक श्लोक में वह सब कुछ है जो हमें वृक्षों से मिलता है :

पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारूभिः
गन्धनिर्यासभस्मास्थि तौक्मैः कामान बितन्वते।।

इसका अर्थ है कि वृक्ष, मनुष्यों और दूसरे प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी पत्तियों, फूलों, फलों, छाया, जड़ों, छाल, काष्ठ, सुगंध, रस, राख और जड़ी

समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

बूटियों से करते हैं। वृक्षों के अवदान का एकजाई गुणगान करने वाला प्रसंग अन्यत्र दुर्लभ है। महाभारत में श्रीकृष्ण ने बलराम से दो टूक बात कह दी। चरित्र और सदाचार की दृष्टि से इस सम्पूर्ण सृष्टि में यदि संत की कोई स्वभाव भूमि है तो एक मात्र निर्विकल्प रूप से वृक्ष में ही है। आधुनिक वनस्पति विज्ञानियों को भी वनवासिनी सीता की वन जिज्ञासा से ईर्ष्या होने लगेगी। वाल्मीकि रामायण में वह प्रसंग है जब सीता वन प्रवेश के तुरंत बाद राम से उन तरूगुल्म अथवा पुष्पशालिनी लताओं के विषय में जिज्ञासा करने लगीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।

एकैकं पादपं गुल्मं लतां व पुष्पशालिनीम्।
अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ साडबला।।

हमारे शीर्ष वैज्ञानिक जगदीशचंद्र बसु तथा पाश्चात्य भौतिकविद् वैक्सटर जैसे विज्ञान विशारदों ने तो आधुनिक काल में उस मान्यता की केवल पुष्टि ही की है जो हमारे शास्त्रों में सहस्त्रों वर्ष पहले से उपलब्ध है। हमारे शास्त्र और महाकाव्य यथार्थ अरण्यकाव्य हैं क्योंकि उनमें अनेक रूपकों के माध्यम से यही निश्कर्ष निकाला गया है कि समग्र जीव-जगत परस्परावलम्बी है और इसी

सूत्र में पर्यावरण संतुलन का मूलमंत्र है। महाभारत के शांतिपर्व में 14 पंक्तियों में विस्तार से बताया है कि मानव की ही भांति संवेदनशीलता है और इसीलिये वृक्ष जड़ न हो कर चैतन्य है। इन पंक्तियों के व्याख्याता स्वामी गंगेश्वरानंद के अनुसार वृक्षों में मानव की ही भांति त्वगिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय आदि हैं। स्थानाभाव के कारण यहां केवल चार पंक्तियां उद्धृत की जा रही हैं :

ऊष्मतो क्लायते वर्णस्त्वक फलं पुष्पमेव च।
म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्ते नात्र विद्यते।।
सुखदुः खयोश्च ग्रहणच्छिन्नस्य च विरोहणात्।
जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते।।

इसका अर्थ है कि जैसे गर्मी में हमारा चेहरा मुरझा जाता है वैसे ही वृक्षों के वर्ण, फल, पुष्प आदि भी शीर्ण हो जाते हैं। वृक्षों में भी सुख-दुख अनुभव करने की शक्ति देखी जाती है।

वे ऊपर से काटने पर पुनः उग आते हैं। इसलिये मैं वृक्षों को अत्यंत सजीव देख रहा हूँ। उनमें अचेतन है ही नहीं चूंकि वन-सत्य बहुत विस्तृत व्यापक और वरण्य है अतः हमारे शास्त्रकारों ने उसे स्वीकार करके वृक्षमहिमा का गान वृक्षसेवा का बखान और वृक्षपूजा का विधान किया।

सेवितव्यो महावृक्षाः फलच्छाया समन्वितः।
यदि दैवात फलं नास्ति छाया केनिवार्यते।।

फल और छाया देने वाले हैं ये वृक्ष इनकी सेवा करो। यदि संयोगवश फल न भी मिले तो छाया कौन रोक सकता है।

वृक्षों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास मान कर उन्हें त्रिदेव स्वरूप स्वीकार किया गया।

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे।
अग्रतो शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः।।

यजुर्वेद में एक बहुत व्यापक अर्थों वाला श्लोक है जिसमें पर्यावरण का सार है :

नमो वृक्षेभ्यः हरि केशेभ्यः

वृक्षों को शिव की जटा मान कर उनकी वंदना की गई। उनको नमन किया गया। हमें इस श्लोकांश को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस लेख के प्रारंभ में कहा गया है कि धरती हमारी माँ है। मिट्टी हमारी धरती की चमड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की नौ इंच मोटी ऊपरी सतह अथवा ह्यूमस पर सारी सभ्यता टिकी है। वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट कहता है कि आज सबसे बड़ा खतरा मिट्टी को है। कैसे? पानी की तेज धार मिट्टी को बहा ले जाती है। हवा मिट्टी को उड़ाती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा होता है भूमिक्षरण लेकिन जहां वन वृक्ष, वनस्पति या घास का कवर है वहां धरती का रक्षाकवच है। वन-वनस्पतियों का प्रबंधन सतटखंडा है, वृक्षों के छत्र वितान को शिव की जटा कहा गया है। जिस प्रकार गंगावतरण के समय देवाधिदेव महादेव ने पहले गंगा को अपनी जटाओं में सोख कर उसका वेग कम किया था और बाद में पृथ्वी पर उतारा था उसी प्रकार वर्षा के वेग को वृक्षवितान सबसे पहले झेल कर मिट्टी को बहने से रोकते हैं। विशाल वृक्ष छोटे-छोटे पेड़, झाड़ियाँ, बेले, घास, सूखे पत्रों की सतह अपने-अपने ढंग से वर्षा वेग को कम करके भूमि क्षरण रोकते हैं। शेष काम धरती के नीचे मौजूद जड़ें करती हैं जो जमींदोज जलस्रोत बनाती हैं और जलाशयों को जीवित तथा नदियों को प्रवाहित रखती हैं, भूमि क्षरण से जो मिट्टी बहती है वह नदियों को उथला करके उनकी जल संचय शक्ति को कम करती है। उधर नदियों के वनस्पति विहीन जलग्रहण क्षेत्र जल प्रवाह की गति को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये दोनों स्थितियाँ बाढ़ के लिये जिम्मेदार हैं, एक ओर स्थानीय रूप से वर्षा को आकर्षित करके और दूसरी ओर जल संचय के सहायक होकर हमारे वन जल के थोक और खुदरा व्यापारों का काम करते हैं दुनिया भर के ताजे मीठे पानी के जलाशय जंगलों की ही देन है। वनों की अंधाधुंध कटान एक दूषित चक्र को जन्म देती है। एक छोटा सा उदाहरण है। हम नदी घाटी योजनाओं के तहत विशाल बांध बनाने के लिये जंगल काटते हैं। दूसरी ओर भूमि का संरक्षक वनस्पति कवच न रहने के कारण भूमिक्षरण के नतीजतन इन्हीं बांधों में कटान की मिट्टी जमा होती है। दीर्घकालीन सत्य यह है कि जिस कृषि के पोषण के लिये ये बांध बनाये जाते हैं वन विनाश उसी कृषि को अंततः स्वयं पोषित नहीं रहने देता। वन

विनाश से जो भीषण भूमिक्षरण होता है उसे हम स्वयं अपने प्रदेश में भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर क्षेत्र में चंबल, क्वांरी, सिंध आदि नदियों के बेहड़ों और भरकों के रूप में देख सकते हैं। इसके नतीजतन सामाजिक बेचैनीजन्य जो अन्य समस्यायें उत्पन्न होती हैं वे तो और भी गंभीर हैं। वृक्षों का न होना रेगिस्तान का होना है। हमारे देश में थार का रेगिस्तान आठ किलोमीटर सालाना की दर से बढ़ रहा है। राजस्थान तो रेगिस्तान बन चुका है लेकिन अब इसका रुख हमारे मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भू-भाग की तरफ है, कुछ साल पहले एफ.ए.ओ. विश्व खाद्य संगठन ने एक लोकोक्ति दुनिया भर में प्रचारित की थी। **फुडबुड लास्ट एज लोंग एज द फारेस्ट।** इसकी भाषा भले ही अंग्रेजी रही हो लेकिन इसके भाव और भाष्य का स्रोत ठेठ भारतीय था। कश्मीर के नंद ऋषि का कथन था : **अन्न पोषित तेले येलि पोषिबन।** चूंकि मालथस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार आबादी सदैव कृषि जन्य खाद्य सामग्री से अधिक रहेगी अतः वनाधारित उत्पाद इसके पूरक होने के कारण खाद्य को कभी भी कम नहीं होने देंगे। यक्ष प्रश्न यह है कि जिस देश में वनों का अध्यात्मिक और आर्थिक-सामाजिक महत्व पीढ़ियों से विरासत में मिला था वहां आज वनों की दुर्दशा क्यों है? अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हमारे देश में जो भी शासक या शासन व्यवस्था रही हो उसमें वनों को कॉमन प्रापर्टी रिसोर्स माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें पहली बार गवर्मेन्ट प्रापर्टी रिसोर्स बना दिया जिससे वनों के प्रति व्यापारिक, व्यवसायिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अगर हम अंग्रेजों द्वारा भारत में वनों के रिजर्वेशन और उसके लिये अलग से विभाग बनाने की कहानी सुनें तो इसके पीछे विदेशी सरकार का व्यवसायिक दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट हो जायेगा। सन् 1858 में सिवनी में मिलिट्री पुलिस के कमांडर कर्नल जी.एफ. पियर्सन को यह काम सौंपा गया था कि वे 1857 की विफल क्रांति के बचे खुचे क्रांतिकारियों का सफाया करें जो कि घने जंगलों में छिपे हैं।

अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई और जिस प्रकार वनों का दोहन किया वह तो इतिहास है लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में वनों पर निर्भर आदिवासी-वनवासी समुदाय के हितों का इतना भीषण हनन हुआ कि एक समूचा वनवासी वर्ग, वनों को रिजर्व घोषित करके आदिवासी के वनाधिकार खत्म करने की, ब्रिटिश सरकार की नीति का घोर विरोधी हो गया। वर्तमान में सरकार आदिवासी वनवासी की वनभूमि बसाहटों को अधिकार देने की जो कानूनन कार्यवाही हुई वह उसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का एक बुनियादी सद्प्रयास है।

सन् 1988 में पहली बार एक ऐसी वन नीति बनाई जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वनवासियों के वनाधारित अधिकारों को वनों को व्यवसायिक उपयोग पर प्राथमिकता दी गई। भूमि सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। समग्र विकास के लिये समग्र, समावेशी और दीर्घकालीन हित सुनिश्चित करने वाली नीतियों की जरूरत होती है। हमें यह तय करना होता है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाये। चूंकि जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है अतः भू-उपयोग की दिशा और दशा पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। कृषि की भांति वन भी भू-उपयोग का ही एक मॉडल है। हमारी वन नीति बहुत स्पष्ट है। मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 33 प्रतिशत रकबा वनों के अंतर्गत होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में इससे अधिक क्षेत्र वनाच्छादित रखना होंगे। पहाड़ों की पोशाक वन हैं। नदियों का संयम वन हैं। कृषि का संबल वन ही तो हैं। इसलिये हमारे वन संसाधनों को बचाने और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान में हम राष्ट्रीय वन नीति में अंतरनिहित लक्ष्यों से कुछ दूर हैं। वर्तमान स्थिति में धर्म और आध्यात्म इन वनों को नहीं बचा सकता। रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है। जरूरतें बढ़ रही हैं। अब उपयोग ही सभ्यता का पैमाना बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे वन संसाधन दिन ब दिन कम पड़ेंगे क्योंकि उन पर बढ़ती हुई जनसंख्या की दैनंदिन बढ़ती जरूरतों का दबाव निरंतर बढ़ेगा। हमारा नैतिक पक्ष इतना कमजोर हो गया है कि जहां हम किसी के बगीचे से उसकी अनुमति के बगैर एक फूल भी नहीं तोड़ते वहीं बहुमूल्य वनों को क्षति पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकते।

वनों के प्रति संरक्षण और संवर्धन की एक समग्र नीति की जरूरत है। एक ऐसी समावेशी नीति जिसमें समाज के सभी स्टेक होल्डरों के हित समाहित और सुनिश्चित हो। एक ओर हमारा वन विज्ञान कम से कम वन क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा वनोपज ले जिसमें वह पूर्ण रूपेण समर्थ है। दूसरी और भूमि के चप्पे-चप्पे का पूरा उपयोग किया जाये। वर्तमान में देश में सर्वाधिक पड़त भूमियाँ राजस्थान और मध्यप्रदेश में हैं। इन्हें तुरंत चारागाहों तथा वृक्षारोपण के तहत लाकर उत्पादक बनाना होगा। यदि भूमि एक दुर्लभ किंतु बहुमूल्य नैसर्गिक साधन है तो फिर हम उसके विशाल भूभागों को जिन्हें पड़त कहते हैं, अनुत्पादक कैसे छोड़ सकते हैं। यह काम अकेली सरकारें नहीं कर सकतीं। इसके लिये सरकार और समाज को मिल कर काम करना पड़ेगा। हमें यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार पुरुषार्थों में यद्यपि चारों की साधना वन संरक्षण से हो जाती है किंतु यदि हम शुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण अपना कर मात्र दो पुरुषार्थों को ही वन संरक्षण और संवर्द्धन से जोड़े तो शेष दो की सिद्धि स्वयंमेव हो जायगी। अब वनों में जाकर आश्रम बनाना तो वन कानून के तहत अतिक्रमण की कोटि में आयेगा लेकिन हर स्तर पर पौधरोपण करके उसकी रक्षा करना नागरिक अधिकार बनेगा। यदि वनों की हिफाजत के प्रति जन-जागरण हो जाय तो फिर वनों की अवैध कटाई और वन माफिया की गतिविधियों पर काफी अंकुश लग जायेगा। हमें यह सोचना होगा कि प्रकृति ने हमें जितना वन दिया है और उसे हमने जितनी क्षति पहुंचाई है क्या हम उसकी पूर्ति करके वन संसाधनों को स्वयंपोषित रहने की दिशा में कुछ कर रहे हैं?

● घनश्याम सक्सेना

विकास की अंधी दौड़ भी कारण है वनों के विनाश का

एक समय था जब मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र का रकबा कुल रकबे के 60 प्रतिशत से ऊपर था लेकिन अब वह घटकर आधा रह गया है। हालांकि चारों और वनों की हिफाजत की आवाज उठ रही है। सभा-सम्मेलनों और संगोष्ठियों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे आयोजन जिनमें वनों को बचाने के संकल्प लिए जा रहे हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं, न केवल प्रदेश के स्तर पर हो रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किए जाते हैं फिर भी प्रतिवर्ष वनों का रकबा घट रहा है। भले ही पूरी दुनियां 'ग्लोबल-वार्मिंग' के संकट को झेल रही है और देख रही है फिर भी वनों की हिफाजत की मानसिकता नहीं बना पा रही है। वनों के विनाश के कारणों की लंबी सूचियां हैं फिर भी सबसे बड़ा कारण विकास और आधुनिकता के नाम पर एक आंधी दौड़।

जिन तीन शब्दों 'आधुनिकता', 'विज्ञान और विकास' में तीन शब्द ही वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक 'अलबर्ट-आइंस्टाइन' ने कभी कहा था कि 'यदि विज्ञान के बिना आध्यात्म लंगड़ा है तो आध्यात्म के बिना विज्ञान भी अंधा है।' और अंधा व्यक्ति किस रास्ते चल पड़ेगा इसका आकलन किसी के पास नहीं होता। और खुद अंधे व्यक्ति को कभी इस बात का अहसास नहीं रहता कि वह गलत दिशा में मुड़ गया। यह बात आज के दौर की तथाकथित वैज्ञानिक जीवन शैली पर लागू होती है। विज्ञान को इस आरोप से बचाया नहीं जा सकता कि उसने ऐसी-ऐसी मशीनों का आविष्कार करके समाज को पकड़ा दीं जो एक-एक सेकण्ड में सैकड़ों साल पुराने विशाल वृक्षों को काटकर धाराशायी कर देती हैं। इन मशीनों पर उन व्यापारियों ने कब्जा कर लिया जो हर कीमत पर पैसों का अंबार लगाना चाहते हैं। फर्नीचर के लिए, इंटीरियर

डेकोरेशन के लिए, वातानुकूलित कक्ष के लिए, कागज बनाने के लिए, कोलतार बनाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। वनों की कटाई का जो काम हाथों से होता था, उसे ये मशीनें अब घंटों में कर देती हैं। अब इस विकास को किस श्रेणी में रखा जाए जो पहले वन काटता है, बुरादा बनाता है फिर केमिकल मिलाकर पुनः लकड़ी (प्लाईवुड) बनाता है। व्यापारी जब इस तरह पैसे बनाने के लिए वनों की कटाई करते हैं और समाज स्वयं को आधुनिक दिखने के लिए अथवा विकास की विलासिता प्रदर्शन करने के लिए ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है तब इन दोनों में से किसी के मन में यह विचार नहीं उठता कि वे विकास के अहंकार में विनाश की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जिस दिन वनों के अस्तित्व का आंकड़ा बीस प्रतिशत के नीचे चला गया तब औसतन ताप 50 डिग्री के पार हो जायेगा और इतना ऊपर जाने का मतलब क्या है यह किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।

भारतीय वाङ्मय में जिन पांच चीजों की सबसे ज्यादा सुरक्षा करने पर जोर दिया गया है उनमें वन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। कहा गया 'वन, वनदेवी का निवास' है उन्हें क्षति न पहुंचाएं। वनों की सुरक्षा करने के विज्ञान को या जीवन के लिए जरूरी इस अवयव को भारतीय ऋषियों ने आध्यात्म के रूप में प्रस्तुत किया, उसे एक काव्य का स्वरूप प्रदान किया। ऋग्वेद से लेकर श्रीमद्भागवत् पुराण तक में वनों के महत्व और उनके बचाव की सामग्री भरी पड़ी है। यह दोनों प्रकार की है।

वन बचाने वालों को मिलने वाले पुण्य लाभ का विवरण भी है और वनों को नष्ट करने वालों के विरुद्ध विभिन्न देवताओं के आह्वान के रूप में भी। अंतर केवल इतना है कि यह समस्त विवरण विज्ञान की शक्ल में नहीं, बल्कि आध्यात्म की शक्ल में है। आधुनिकता की दौड़, वैज्ञानिकता पर अमल करते दिखने की ललक और जीवन की जरूरतों की जद्दो-जहद में यह सावधानियां कहां छूट गई किसी को पता ही नहीं चला। बात यहीं तक सीमित न रही बल्कि जरूरतें कब 'हबिश' में बदल गईं, इसका भान भी आज किसी को नहीं है। और इन सबका दबाव

मध्यप्रदेश की पंचायतें कम से कम एक जागरूकता का अभियान चला सकती हैं। जागरूकता का अभियान पेड़ लगाने और पेड़ न काटने के प्रति तो हो ही बल्कि इसके एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। वे अपने आसपास के जंगलों में पेड़ काटने वाली आधुनिक मशीनों को रोकें। यह काम संघर्ष से नहीं बल्कि अनुनय-विनय से हो।

वनों पर पड़ा और उनका निरन्तर विनाश होता चला गया। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें मनुष्य जानता है, मानता भी है लेकिन उसके आचरण में नहीं होता। वनों की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल यही बात है। सब जानते हैं कि जीवन के लिए वन जरूरी हैं, मानते भी है कि यदि वन खत्म हो गए तो जीवन नहीं बचेगा। वनों के विनाश से वन्य प्राणियों के जीवन पर संकट इसकी शुरुआत है और आने वाले कल में मनुष्यों के अस्तित्व पर भी सवाल उठेगा लेकिन फर्नीचर खरीदते वक्त, एयर कंडीशनर लगवाते वक्त या कागज को फेंकते वक्त उसका यह जानना और मानना काम नहीं करता। जिस तरह वह सिगरेट शराब के मामले में वैधानिक चेतावनियों को अनदेखा करता है ठीक वैसे ही वनों की हिफाजत के मामले में भी वैज्ञानिकों की चेतावनियों को अनदेखा करके वनों के विनाश में लगा है। इसमें तीनों वर्ग जिम्मेदार हैं। व्यवसायी मानसिकता, आधुनिक और विकसित दिखने की अंधी स्पर्धा में शामिल समाज एवं समाज को अधिकतम सुविधाएं देने में लगा विज्ञान। आज अगर पूरी दुनिया इस बात पर विचार कर रही है कि विनाश की आशंका को जन्म देने वाले 'आवणिक-हथियारों' को क्यों न नष्ट कर दिया जाए तब इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि

● **रमेश शर्मा**

ग्राम पंचायत की सक्रियता

जंगल की सुरक्षा अब क्यों जरूरी है? क्या किसी गांव वाले को यह पता नहीं है कि जंगल की सुरक्षा कितनी आवश्यक है? ये दो सवालों के उत्तर ही हमें बताएंगे कि आखिर गांव वाले क्या सोचते हैं?

एक गांव वाले से जब मैंने पूछा तो उसका कहना था कि हमें नहीं पता है कि पर्यावरण क्या होता है और जंगल की उसमें क्या भूमिका होती है लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे गांव के आसपास पेड़ पौधे और जीव जंतु होना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि एक पेड़ से कितना फायदा होता है और एक पेड़ कितने पखेरुओं को आसरा देता है। यह आसरा हमें भी उतना ही जरूरी है।

यह एक ग्रामीण की सोच है और ऐसा सिर्फ एक ग्रामीण ही सोच सकता है। जंगल के करीब रहने वाला ही इसे समझ सकता है। शहर वालों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी की जरूरतें पूरी करनेवाली इकाई हो सकती है लेकिन गांव के व्यक्ति के लिए यह जीवन व्यवस्था का हिस्सा होती है। उसकी सोच में शामिल होता है जंगल।

इसमें दूसरा दृष्टिकोण भी है कि गांव के लोग ही जंगल काटते हैं? यह सच है कि लकड़ी चोरी गांव के व्यक्ति को ही साथ लेकर की जा रही है या की जाती है। गांव को जंगल और पानी की सुरक्षा के लिए जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें प्रशासन और नई पर्यावरण की चिंता करने वाली व्यवस्था ने ग्रामीणों को बाहर किया। यह ऐसा ही है कि हम जिसके हिस्से में रखवाली हो उसे ही दुश्मन मान लें। जब वन प्रबंधन के लिए पुलिस और दूसरे उपाय किए गए तब गांव की सामाजिक व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया।

जंगल की रक्षा एवं प्रबंधन में ग्रामवासी, पंचायत और सरकार-तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जंगल को लेकर अगर इन तीनों स्तरों पर समन्वय बन जाए तो वन और पर्यावरण के सवाल पर एक व्यापक बदलाव

वन संरक्षण के लिए जरूरी

आ सकता है। वन का सवाल एक बहुआयामी सवाल है और यह जलवायु एवं पर्यावरणीय संकटों से घिरे आज के समय का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जंगल एक ऐसा मुद्दा है जो जल, जीवन, जीविका, कृषि, जैवविविधता, संस्कृति, स्वास्थ्य, जड़ी-बूटी, चिकित्सा, जलवायु आदि पहलुओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।

जब गांव वाले देखते हैं कि उनके जंगल बाहरी लोगों, कंपनियों आदि द्वारा लूटे जा रहे हैं नष्ट किए जा रहे हैं तो वे क्यों न लूटें? जंगल तो उनके थे। उनके गांव की जमीन पर थे। उनके लिए थे। उनके ही जंगलों से उनको ही बाहर करना इस व्यवस्था का सबसे बड़ा अपराध बन गया।

वर्तमान संदर्भ में वनों को लेकर गांव, पंचायत और प्रशासन के स्तर पर व्यापक जागरूकता लाने की बड़ी जरूरत है। मध्यप्रदेश जैसे पठार-पर्वत एवं पहाड़ी प्रदेश के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है जहां विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन किया जा रहा है। अंधाधुंध खनन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इन खनन उद्योगों से जंगलों का विनाश हो रहा है। ऐसे में जंगल कैसे बचेगा और कौन बचायेगा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की संकट की जिम्मेवारी कौन लेगा? इन समस्याओं से निपटने के लिए एक तरफ तो सरकारों को नीतिगत फैसले लेने होंगे और वन पर्यावरण नीति और खनन नीति के बीच समन्वय बनाना होगा। लेकिन वनों के सरंक्षण एवं प्रबंधन में स्थानीय गांव समुदाय, पंचायत और प्रशासन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में ठोस पहल हो,'ठोस कार्यक्रम बने, अभियान चले और ग्राम सभा एवं पंचायतों को प्रशिक्षण मिले। कार्यक्रम को लागू करने में सरकार हर संभव मदद करे। इस काम में सरकार गैर सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक या नागरिक संगठनों से सहयोग ले सकती है।

वनाधिकार के साथ वनों का संरक्षण- जंगलों की सुरक्षा तभी होगी जब वनाश्रित लोगों की जीविका एवं अन्य अधिकारों की सुरक्षा होगी। ग्राम सभा और पंचायत जंगल के मुद्दे को लेकर कई काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने में वे पूरी तरह मदद करें। इसके लिए सबसे पहले तो ग्राम सभा और पंचायत प्रतिनिधियों को खुद ही वनाधिकार कानून एवं नियम को समझना होगा। पंचायत राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बने कानून में प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति को भी समझना जरूरी है। वनाधिकार कानून की धारा-3 (1) के में ग्राम सभा को वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, पुनरुत्पादन का अधिकार है। धारा-5 में ग्राम सभा एवं पंचायतों को वन, वन्य जीव, जड़ी-बूटी एवं जैवविविधता के संरक्षण के लिए शक्ति दी गई है। साथ ही वे स्थानीय पर्यावरण एवं स्थानीय समुदाय और उनकी परम्परा एवं संस्कृति पर दुष्प्रभाव डालने वाले किसी भी गतिविधि को रोकने में कदम उठा सकते हैं। इन सबके लिए जहां ग्राम सभा में वनाधिकार कानून के तहत उनके अधिकारों एवं जिम्मेवारियों को बतलाना होगा। वनाधिकार को लागू करने के लिए ग्राम सभा के अंदर वनाधिकार समिति गठन करना होगा। लेकिन सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा को एक अलग से

जिला विदिशा का लटेरी पंचायत में एक गांव है मुरवास। वहां के एक बुजुर्ग का कहना है कि हम लकड़ी को खाते तो नहीं थे मगर शहर वाले ही यहां आ-आकर लोगों को चोर बना गए। वे जंगलों से लकड़ियां मंगवाते और फर्जी बिलों के आधार पर ले जाते। अब सख्ती है लेकिन पहले जंगलों का बहुत नुकसान हो गया। अब वहां कुछ नहीं बचा। न पानी, न पेड़ और न जीव जंतु। खाली जमीन पर कब्जा हो रहा है। ऐसे में अब हम जहां तक आ गए हैं वहां से वापस उस व्यवस्था के प्रति आग्रह भी अब ठीक नहीं कहा जा सकता। हमें उस सामाजिक व्यवस्था जिसमें वनों को बचाने की स्वतः व्यवस्था थी उसके अच्छे पक्षों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा।

आज जंगल बचाने पर तो बात होती है लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि जंगल प्रकृति द्वारा पैदा व्यवस्था है जिसे बचाने से अधिक आवश्यक है, उसके ही हाल पर छोड़ा जाए। वनों के जानकार और पर्यावरणविद कहते हैं- आप एक एकड़, दस एकड़ या हजार हैक्टेयर जमीन में सिर्फ इंसानों को प्रतिबंधित कर दीजिए, उस जमीन पर अपने आप प्रकृति पांच साल में बड़ा जंगल खड़ा कर देगी। यह एक बड़ी बात है और सच भी है। प्रकृति अपने निहित गुणों के माध्यम से यह कार्य करती है।

सामुदायिक वनपालन समिति गठन करना है जिसमें महिला-पुरुष और युवा वर्ग शामिल हों। महिलाएं कम से कम एक तिहाई तो जरूर हों, पर अधिक होने पर भी कोई हर्ज नहीं है।

सामुदायिक वनपालन समिति के गठन के बाद वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए ग्राम सभा को नियम बनाना होगा और उन नियमों को लागू करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड या सजा का प्रावधान रखना होगा। गांव के लोग जंगल का उपयोग, जैसे- घर बनाने, कृषि उपकरण बनाने, जलावन आदि जरूरी कामों के लिए किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी नियम बनाने होंगे। लकड़ी कटाई और जंगल को आग से बचाने के अलावा वनोपज के संग्रहण के तौर-तरीकों के लिए भी नियम बनाकर वन पालन समिति के रजिस्टर में दर्ज करना होगा। जंगल की नियमित देख-भाल एवं रखवाली के लिए कार्य-दल भी बना सकते हैं जो बारी-बारी से जंगलों की निगरानी करे। समिति गठन करने, नियम बनाने, निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज करने और अमल में लाने जैसी प्रक्रिया में पंचायत प्रतिनिधिगण ग्राम सभा, वनाधिकार समिति और वन पालन समिति को सहयोग कर सकते हैं। ग्राम और सरकार के बीच एक कड़ी बन सकती है पंचायत।

आय एवं स्वरोजगार : लोग जंगलों की सुरक्षा या वन पालन में तभी रुचि लेंगे, जब जंगलों से उन्हें फायदा मिले और यह उनकी आय वृद्धि और स्वरोजगार का जरिया बने। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली वनोपज को ग्राम समितियों के हवाले किया जाना चाहिए। वनोपज का संग्रहण एवं बिक्री ग्राम सभा द्वारा गठित सहकारी समिति द्वारा शहर के बाजार में अच्छे दामों में की जा सकती है। पंचायत द्वारा गांव में पत्तल प्लेट बनाने के लिए मशीन लगाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। महिला समूह द्वारा पत्तल प्लेट बनाकर, आंवला, जामुन, महुआ आदि का टॉनिक बनाकर तथा मूल्य संवर्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण कर वन खाद्य पदार्थ इत्यादि को बाजार में बेचकर आमदनी बढ़ाने का काम हो सकता है। जड़ी-बूटी आधारित परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर वैद्य लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जंगलों के आस-पास झरने या छोटे-मोटे नाले के पानी को रोकने के लिए छोटे बांध बनाये जा सकते हैं। जंगलों के आस-पास जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। उजड़े हुए वनभूमि पर फिर से मनरेगा या वन विभाग की योजना के तहत स्थानीय प्रजाति के पेड़ों या फलदार पेड़ों को लगाने का काम होना चाहिए।

वन एवं पर्यावरण के मुद्दे पर पंचायत या विकास खंड स्तर पर साल में कम से कम एक बार पर्यावरण एवं सांस्कृतिक मेले आयोजित होने चाहिए। इसमें नाच-गान, नाटक, गोष्ठी आदि के साथ-साथ वन पर्यावरण से जुड़े चित्रों, वन पदार्थों इत्यादि की प्रदर्शनी की जा सकती है।

अगर इन सारे सुझावों को अमल करने में ग्राम सभा, पंचायत और प्रशासन आपस में सहयोग करते हुए समन्वित प्रयास करते हैं तो वन-पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ जीविका, जैवविविधता, जड़ी-बूटी और जंगल से जुड़ें परम्परागत ज्ञान और संस्कृति की भी रक्षा होगी।

इस सब के साथ गांव वालों या जंगल में रहने वालों को यह अहसास आना चाहिए कि वन और उसका हर पेड़ उनके कल्याण के लिए है।

● **रवीन्द्र स्वप्निल प्रजापति**

वन प्रबंधन का अनूठा प्रयोग

थोड़े से प्रयास से मिली हरियाली

एक गांव है- सियलपुर। यह गांव मूलतः सामान्य और पिछड़े वर्ग की जातियों का गांव है। यहां जंगल नहीं है लेकिन पेड़ों की चाह तो हर गांव वाले में होती है। गांव का जल, जंगल और जमीन से भावनात्मक लगाव रहा है।

आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के नाम पर जिस तरह से पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उसका दुष्परिणाम हम सबके सामने है। जंगलों को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में सियलपुर पंचायत के लोगों ने तकरीबन पांच सौ पेड़ों का एक उपवन सामुदायिक आधार पर बनाया है। पुनर्जीवित कर सामुदायिक वन प्रबंधन का अनूठा प्रयोग किया है।

गांव वालों के प्रयास से यहां के मंदिर क्षेत्र में पेड़ पौधों को देखकर मन पुलकित हो जाता है। सघन छांव में बसने वाले ऐसे दृश्य अब दुर्लभ हो चुके हैं। आज जब हर तरफ जंगलों का तेजी से ह्रास हो रहा है ऐसे में तो पंचायत के लोगों ने यह चमत्कार कैसे किया?

दस से पंद्रह वर्ष पहले की बात है। यहां पेड़ लगातार कट रहे थे। मवेशियों के चरने-विचरने के लिए भी जंगल शेष नहीं रह गया था। जंगल के नाम पर कटे वृक्षों के ठूंठ और झाड़ ही बचे थे।

यह शुरुआत कहीं से भी की जा सकती थी। इसलिए पेड़ों को लगाने और उनको संवारने का काम किया कन्हैया लाल नामदेव ने। हैंडपंप का पानी उन्होंने पेड़ों के लिए आरक्षित कर दिया और धीरे-धीरे कई तरह के पेड़, आंवला, पीपल, आम आदि को रोपा और एक छोटी सी जगह हरी भरी हो गई। इस प्रयोग को वाटिका नाम दिया गया। यह पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर स्थापित की जाना चाहिए।

वनों के संरक्षण के लिए इच्छाशक्ति के साथ वनों के प्रति गहरा लगाव और आस्था भी जरूरी है। सरकार चाहे लाख वन समितियां बना लें, पर समितियों में शामिल लोगों में अगर वनों के प्रति प्रेम न हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वनों के आस-पास रहने वालों को यह अहसास कराना जरूरी है कि वन मानव जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं।

● **उमेश साईचेडकर**

कृषि और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास

यदि निर्विवाद रूप से बात करें तो फसल उत्पादन और पशुधन अन्योन्याश्रित हैं। दोनों साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो किसान सम्पन्न रहेंगे और आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे पूरी तरह नजर अंदाज करने के कारण किसानों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है और वह मिट्टी की उत्पादकता तथा परंपरागत फसलों खरीफ-रबी का सकारात्मक अन्तर्सम्बन्ध।

बिना गंभीर चिंतन मनन के हमने सोयाबीन को अपना लिया, परिणामस्वरूप ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी तथा अरहर एवं उड़द की दाल जैसा सदियों से परम्परागत भोजन मध्यप्रदेश के ग्रामीणों तथा आदिवासियों के लिए दिवास्वप्न हो गया। एक अकेले सोयाबीन ने ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल्ली आदि परम्परागत फसलों के साथ ही मिट्टी की उत्पादकता को वास्तव में जीवन शक्ति देने वाली फसलों को खेतों की मेढ़ों से बाहर ही कर दिया।

सोयाबीन में जो 18 प्रतिशत तेल होता है वह देश में रह जाता है और 82 प्रतिशत खली निर्यात हो जाती है। सीधी-सी बात है, किसानों की थाली से प्रोटीन भी चला गया और मिट्टी की उत्पादकता भी रासायनिक खादों की मोहताज हो गई। इधर पशुओं का आहार जो पहले खेतों का सह उत्पाद था वह बाजारों से महंगे दामों में मिलने लगा। इस कारण पशुपालन एक महंगा सौदा सिद्ध हो गया और खेती को हमने अनायास आत्मनिर्भरता से दूर मशीनों तथा रासायनिक खादों के हवाले कर डाला। यह भी गौरतलब है कि सोयाबीन के डंठल पशुओं के पाचन संस्थान के कतई अनुकूल नहीं हैं बल्कि प्रतिकूल हैं। संक्षेप में कहें तो रासायनिक खाद आधारित खेती न तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, न मिट्टी की उत्पादकता के संदर्भ में पर्यावरण मित्र इको फ्रेण्डली है, न पशुधन के हित में है और तो और रासायनिक खादों से प्रदूषित अनाज मानवों में मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर, यकृत तथा गुर्दे की बीमारियाँ तथा रक्तचाप जैसे विकारों की जन्मदात्री सिद्ध हो रही है।

आखिर रणनीति क्या हो?

पशुधन आधारित परम्परागत खेती अर्थात जैविक खेती ही इसका एकमात्र सौ प्रतिशत परिणाम वाला समाधान है।

- पुनः खरीफ और रबी के फसलचक्र को पूर्ण विश्वास के साथ अपनाया जाए ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे।
- पशु पालन को भरसक बढ़ावा देना ताकि मूत्र और गोबर मिट्टी की उत्पादकता को निरंतर बढ़ाते ही रहें।
- पशुपालन को परंपरागत वैज्ञानिकता के साथ अपनाया जाना ताकि दूध का उत्पादन एक अतिरिक्त आय का साधन बन जाए।
- हर खेत में लगभग 15 हजार रुपयों की लागत से गोबर गैस प्लांट के निर्माण के लिए किसानों को सहमत कराना ताकि बेहतरीन खाद (कम्पोस्ट खाद से भी उम्दा) भी मिले तथा 5 सदस्यों के भोजनादि के लिए पर्याप्त पर्यावरण मित्र (इकोफ्रेण्डली) ईंधन भी घर बैठे उपलब्ध हो सके। पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर मूल्यवृद्धि से भी किसानों (तथा सरकार को भी) को आजादी मिलेगी।
- यह भी गौरतलब है कि देशी गाय का गोबर और मूत्र जैविक खाद तथा नैसर्गिक कीटनाशक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैज्ञानिक रूप से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए पशुधन की दृष्टि से गाय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और जर्मनी में गाय के गोबर से वेदवर्णित तरीकों जैव

> **रासायनिक खाद आधारित खेती न तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, न मिट्टी की उत्पादकता के संदर्भ में पर्यावरण मित्र इको–फ्रेण्डली है, न पशुधन के हित में है और तो और रासायनिक खादों से प्रदूषित अनाज मानवों में मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर, यकृत तथा गुर्दे की बीमारियाँ तथा रक्तचाप जैसे विकारों को जन्म दे रहा है।**

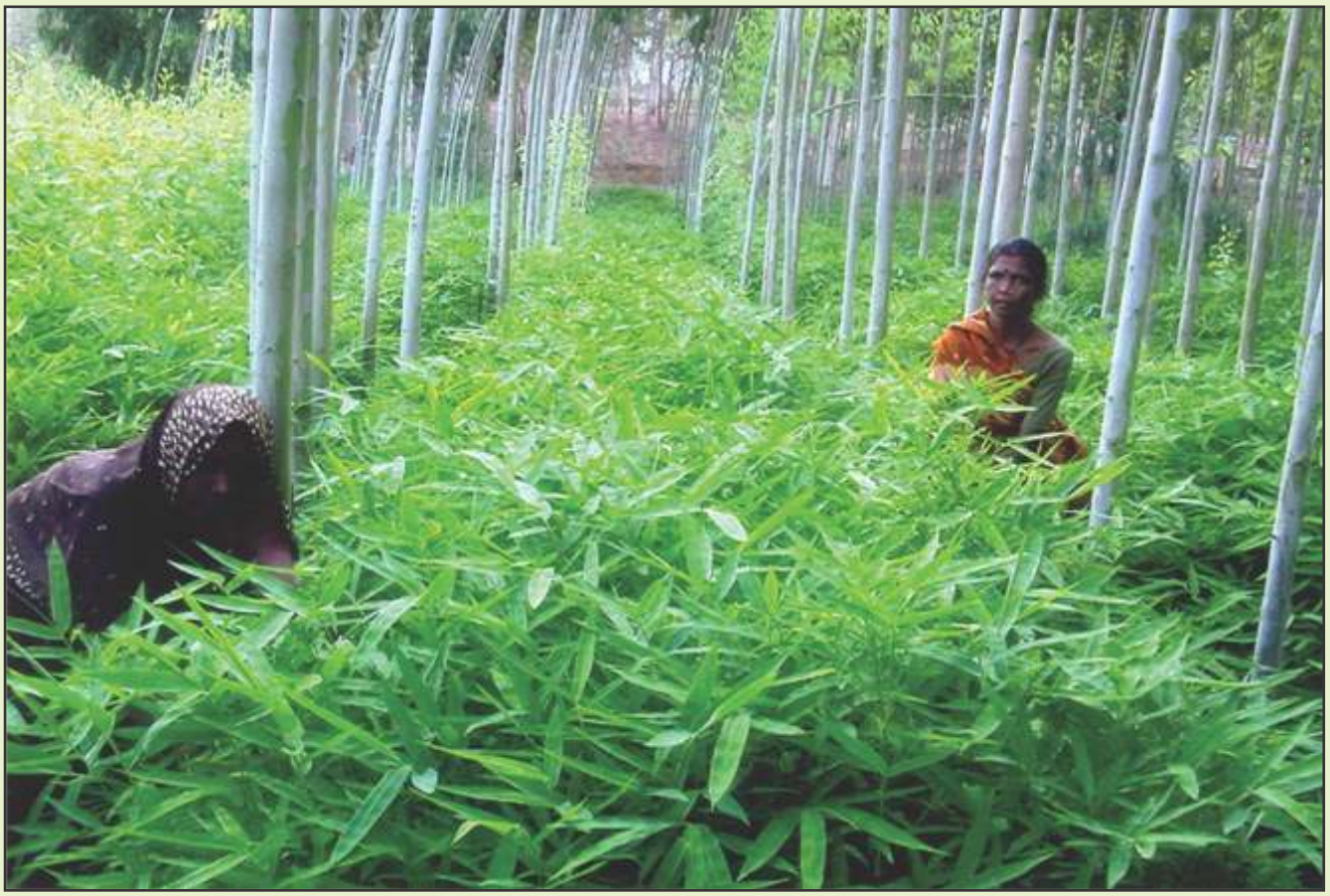

गतिकीय से बेहद प्रभावी खाद निर्मित की जाती है। श्री पीटर प्रोक्ट जैसे वैज्ञानिक इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना पूरे विश्वभर में प्रवास करते रहते हैं। हमें भी उन तरीकों को पूर्ण विश्वास के साथ अपनाना होगा।

- हमारे देश में भी आई.सी.ए.आर. के फल रिसर्च केन्द्र लखनऊ, कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर हिमाचल प्रदेश, बसन्त दादा गन्ना रिसर्च इंस्टिट्यूट पुणे आदि में हुए अनेकानेक सफल शोधों का किसानों के हित में जैव गतिकीय कृषि पद्धति के प्रायोगिक उपयोग का जमकर प्रचार प्रसार करना चाहिए।
- मटका खाद, अमृत पानी, जीवामृत, प्रोटीन हाइट्रोलाइसेट जैसी प्रामाणिक विधियों को खूब प्रचारित करना चाहिए। इन सबका शासकीय स्तर पर सभी माध्यमों से प्रचार किया जाना राष्ट्रहित में होगा।
- पर्यावरण शास्त्रियों, देशज कृषि वैज्ञानिकों तथा शासकीय मशीनरी का यह प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन बुनियादी समस्याओं और खामियों को तलाशें, जिनके चलते पर्याप्त संसाधनों एवं पशुधन के होते हुए भी मध्यप्रदेश के कृषक पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात के किसानों से बेहद पिछड़े हुए हैं।
- फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन-इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, खण्डवा, बुरहानपुर आदि के किसानों ने जिस तरह विविध आयामी फल-फूल और सब्जियों का रिकार्ड उत्पादन किया है, उसी तर्ज पर पूरे मध्यप्रदेश के कृषकों को शासकीय तथा गैर शासकीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- औषधीय एवं सुगंधित पौधों का उत्पादन तथा उनके श्रेष्ठतम उपयोग को बढ़ावा देने से भी हमारे किसान सम्पन्न हो सकेंगे।

वन प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश में हजारों हैक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। ऐसी जमीन पर उन्नत प्रजाति के घास, चारा, झाड़ियों से वन विस्तार और चारागाह का कार्यक्रम चलाया जाए तो पशु-पक्षियों तथा तितली-मधुमक्खियों, कीटों की संख्या में तो वृद्धि होगी, साथ ही वनजन्य वर्षा के चलते किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षाजल भी सहज प्राप्त हो सकेगा।

कुटीर उद्योग

कृषि उत्पादों, वन उत्पादों और गो-

उत्पादों को बढ़ावा देकर छोटे-छोटे उद्योगों का गाँवों और पंचायतों के स्तर पर खूब प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इससे पलायन रुकेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तथा गांधीजी की स्वदेशी विचारधारा का लोक व्यापीकरण भी होगा।

- जल संरक्षण के तहत छोटे-छोटे तालाबों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- निर्मल ग्राम योजना को पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाकर इसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना उत्तम होगा।
- **जलस्रोतों तथा नदियों को नवजीवन-** इसके तहत मध्यप्रदेश की सभी मृतप्राय नदियों को जीवित करने के युद्ध स्तर पर सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी छोटी नदियों में हर 300 से 400 मीटर पर स्टॉपडेम बनाना चाहिए।

खेती की जमीन की रक्षा

सीमेंट-कांक्रीट के जंगलों के अव्यवहारिक विस्तार पर तुरंत रोक लगाई जाना चाहिए। प्रलोभन देकर किसानों की जमीनों को खरीदने का सीधा सा अर्थ है, उनके तथा उनके परिवारों के पेट पर लात मारना तथा अन्नपूर्णा धरती माता के उतने हिस्से को सदा सर्वदा के लिए बांझ बना देना भी। इस पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। प्रसंस्करण एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलने से गाँवों के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा तथा किसान सम्पन्न तथा समृद्ध भी होंगे।

शोध अति आवश्यक है

निम्नलिखित विषयों पर शोध किया जाना अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है-

- देशी गाय के गोबर तथा रासायनिक खाद के मिट्टी पर पड़ने वाले विभिन्न तरह के प्रभावों का दीर्घकालीन अध्ययन किया जाना राष्ट्रहित में होगा।
- उदाहरणार्थ फसल की गुणवत्ता, उत्पादन की मात्रा, पशु पक्षी, मानव तथा वातावरण पर प्रभाव, फसल की पौष्टिकता मानव एवं पशुओं के संदर्भ में, तथा मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव आदि।
- कम लागत, समिति जल उपलब्धता तथा पारिवारिक हिस्सेदारी से लगातार कम होती जा रही जमीन पर कैसे पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया जाए?
- विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों का किस फसल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसका सम्पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन आदि।

यह बात सौ प्रतिशत सच है कि यदि किसानों को जैविक खेती से सम्बन्धित वैज्ञानिकों का पर्याप्त मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन तथा शासकीय मशीनरी का समुचित अवलम्बन मिलेगा तो वे रिकार्ड तोड़ उत्पादन तो करेंगे ही इसके अलावा गोबर गैस से बनी बिजली और ईंधन का उत्पादन कर पैट्रोलियम पदार्थों तथा बिजली की बचत भी करेंगे। साथ ही कार्बन क्रेडिट अर्जित कर प्रदेश का नाम विश्वस्तर पर ऊँचा कर सकेंगे। एक किसान के पास अधिकतम जमीन के लिए कड़े नियम हैं। परन्तु पारिवारिक बंटवारे के पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जमीन सिकुड़ते जाने से तीसरी चौथी पीढ़ी की किसान संतान के हिस्से में जो जमीन होती है, वह खेती के लिए अत्यन्त अपर्याप्त हो जाती है यानि वायॅबल नहीं रहती।

ऐसी वास्तविक विडम्बना के चलते कम से कम कृषि भूमि का भी नियम बनाया जाना चाहिए तथा अधिकतम भूमि के नियम में व्यावहारिकता का समावेश किया जाना चाहिए।

● गोविन्दन कुट्टी मेनन

वन औषधि हमारी अमूल्य धरोहर

हम सभी जानते हैं कि विश्व में भारत का प्राचीन काल से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रहा है और वनस्पति ज्ञान में भारत अग्रणी है, वैदिक तथा अन्य वांग्मय में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। वनस्पतियों के बहुपक्षीय ज्ञान, मौलिक अवधारणाओं तथा महर्षियों के चिन्तन द्वारा प्राकृतिक रूप की इस अक्षय निधि के बहुमुखी उपयोग की महान परम्परा हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसकी धारा वेद से विज्ञान तक निरन्तर प्रवाहित है। औषधीय उपयोग के पक्ष विशेष का प्रतिपादन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है और वनस्पतियों का जीवन से निकट संपर्क रहा है।

भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण हमारा देश प्राकृतिक वनस्पति के विपुल भंडारों से भरा पड़ा है। भारत के पर्वतीय, मैदानी तथा पठारी क्षेत्रों में नाना प्रकार की वनस्पतियां स्वयं उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक, व्यापारिक, खाद्य सामग्री जैसी मौलिक आवश्यकताओं के साथ, स्वास्थ्य रक्षा तथा रोगों के उपचार के आधारभूत औषधि स्रोत हैं। औषधीय वनस्पतियां भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा विज्ञान का अभिन्न अंग रही हैं और भारतीय जन-जीवन की स्वस्थ तथा रोगी दोनों दशाओं में जीवन्त भूमिका भी रही है।

भारत में लगभग 10000 से अधिक औषधीय पौधों की समृद्ध धरोहर है, जिनमें से 1800 औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेद में, 4700 पारंपरिक चिकित्सा व्यवसाय में, 1100 सिद्ध औषधीय प्रणाली, 750 यूनानी, 300-300 होम्योपैथी और चीनी औषधि प्रणाली में और लगभग 100 एलोपैथी प्रणाली में प्रयुक्त होते हैं। औषधीय पौधों के स्रोतों की तुलना में आंकड़े कम हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 3.50 लाख से अधिक पौध प्रजातियां पृथ्वी पर फैली हुई हैं जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत औषधीय पौध प्रजातियां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विन्ध्याचल, छोटा नागपुर का पठार, अरावली, हिमालय की तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्व में फैले उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं।

भारत की बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण वन के क्षेत्र घट रहे हैं और औषधीय पौधों एवं वनस्पति की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचार का सहारा लेने लगे हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी द्वारा उपचार में लोगों की रुचि बढ़ गयी है जिसके कारण वन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है और औषधीय पौधों एवं वनस्पति की पूर्ति करने में असमर्थ हैं।

अधिकांश औषधियों में पौधों की जड़, छाल और सम्पूर्ण पौधों का ही उपयोग होता है जिसके कारण औषधीय पौधों की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इन लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनरुद्धार और पुनर्सृजन के लिए आदिवासियों के साथ ही किसानों को भी अभिप्रेरित और आकर्षित करना आवश्यक है। औषधीय पौधों की खेती, उनके संरक्षण-उपयोगिता के लिए प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किसानों, संग्रहकों/आदिवासियों को औषधीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान, उनका समय पर संग्रहण, कटायी, कच्ची सामग्री की गुणवत्ता, उनका समुचित भंडारण, पैकेजिंग और बाजार में उपलब्धता और पूर्ति के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। शासकीय स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि लुप्त हो रही वन्य औषधीय पौधों का संरक्षण और विकास हो सके।

वनोषधियों की औषधीय गुणवत्ता के कारण, उनका उपयोग चिकित्सा, औषधि-निर्माण तथा घरेलू प्रयोग में होता है और

वनस्पतियों के औषधीय एवं अन्य प्रयोजनों से उपयोग की लोक परम्परा जन-सामान्य में है। आजकल लोगों में हर्बल चिकित्सा के प्रति रुझान बढ़ गया है चाहे रूप सौन्दर्य की बात हो या फिर स्वस्थ शरीर की हर जगह जड़ी-बूटियों का उपयोग होने लगा है। लोगों में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति अनन्य निष्ठा और विश्वास जागृत हुआ है। कुछ हर्बल उपचार का निर्णयात्मक रूप से सकारात्मक प्रभाव भी नजर आता है :

- घृतकुमारी का उपयोग पारंपरिक रूप से जलने या घाव के लिए लाभकारी है।
- कृष्णबदरी या जामुन के पत्तों के इस्तेमाल से त्वचा की झुर्रियां ठीक करने में सहायता मिलती है।
- आंवला, बहेड़ा और हरड़ से निर्मित त्रिफला चूर्ण का नियमित रूप से खाली पेट इस्तेमाल करने पर बाल काले-घने होते हैं।
- हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलेहटी, बंसलोचन, पीपर से बने चूर्ण को मिश्री, देशी घी एवं शहद के साथ रात्रि में नित्य सोते समय खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है।
- मालकांगनी के दानों का नियमित प्रयोग से चश्मा उतर जाता है।
- अमरूद के पत्तों के काड़े से कुल्ला करने से दांत और दाढ़ का दर्द दूर होता है।
- नीम के पेड़ की छाल पानी के साथ पत्थर पर घिसकर लगाने से पैर का जख्म ठीक होता है।
- पनीर के फूल रात में पानी में डालकर सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पीने से मधुमेह का रोग ठीक होता है।
- घुटनों के दर्द के लिए प्रतिदिन सुबह मैथी का काड़ा पीना लाभप्रद होता है।

उपरोक्त के अलावा भी अनेक जड़ी-बूटियां हैं जिनका प्रयोग व्याधियों के दौरान दैनंदिन किया जाता है। बहुत सारी वन्य औषधियां हमारे घर के आस-पास बिखरी हुई पायी जाती हैं लेकिन पहचान न होने के कारण हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वन्य औषधियों पर देश भर में शोध हो रहे हैं इसलिए भी इनकी मांग बढ़ रही है। इसलिए पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। नगरीयकरण के दबाव के कारण खुले मैदानी इलाकों की संख्या सीमित होने से इनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है। अतः वन्य औषधियों का व्यावसायिक रूप से कृषि उत्पादन होना आवश्यक है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वन्य औषधि की पैदावार बढ़ सके और यह उनके लिए आमदनी का अच्छा जरिया भी साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ वन्य औषधियों का प्रचार-प्रसार भी निरन्तर होना चाहिए ताकि लोग इनके बारे में जान-समझ सकें और यह परम्परा जीवित रह सके।

● बबीता अग्रवाल